उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद – 211 013

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	41
दिनाँक	:	21 नवम्बर, 2016
समय	:	अपराह्नः 3:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनाँक 21 नवम्बर, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3	प्रो. के.एस. मिश्र, डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो. एच.एस. उपाध्याय, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

10.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
12.	डॉ. मुकेश कुमार असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
13.	श्री एस.पी. सिंह वित्त अधिकारी, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	विशेष आमंत्रित
14.	डॉ. आर.के. पाण्डेय कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य–सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01	प्रो. बी.एम. शर्मा, फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी., पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
02	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
03.	डॉ. अरविन्द दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपति जी ने नये कुलसचिव, डॉ. आर. के. पाण्डेय का विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों से परिचय कराया तथा विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 02–09–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 02–09–2016 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों

को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या 51-169** पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनाँक 02–09–2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 02–09–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 02–09–2016 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
40.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.03	दिनाँक 27–01–2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	परीक्षा दिसम्बर–2014 के उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु नोडल मूल्यांकन केन्द्र एवं नोडल प्रभारी नियुक्त करने पर विचार।	1. परीक्षा दिसम्बर–2014 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु बरेली, लखनऊ व इलाहाबाद तीन नोडल केन्द्र बनाये जायें। 2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराने से पूर्व अथवा पश्चात मे मूल्यांकन कर्त्ताओं की सूची अवश्य अनुमोदित करा ली जाय। 3. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा भी क्षेत्रीय कार्यालय पर मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की अहर्ता का ध्यान रखा जाय।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
2.	मूल्यांकन केन्द्र/नोडल प्रभारी के मानदेय पर विचार।	1. पूर्व की व्यवस्था में बाह्य नोडल प्रभारियों के लिए मानदेय निर्धारित था किन्तु आन्तरिक नोडल प्रभारी हेतु कोई मानदेय नहीं था। समिति ने संस्तुति की कि आन्तरिक नोडल प्रभारी को भी बाह्य नोडल प्रभारी के समतूल्य मानदेय दिया जाय। 2. नोडल प्रभारी के मानदेय के पुनरीक्षण एवं उपरि–सीमा पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समस्त निदेशक गण, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होगें एवं समस्त पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कर्ता को 100 उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल घर ले जाकर मूल्यांकन करने एवं एक दिन पश्चात् मूल्यांकित पुस्तिकाएं वापस करने पर ही दूसरा 100 उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल देने पर विचार।	1. 01 पैकेट (लगभग 100 उ0पु0) का मूल्यांकन करने हेतु अधिकतम तीन दिन का समय दिया जाय। 2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकित कॉपियाँ प्राप्त करने के पश्चात Randomly Check करा लिया जाय कि सभी उ0पु0 ठीक प्रकार से Check हुई है या नहीं। तत्पश्चात दूसरा उ0पुस्तिकाओं का बण्डल मूल्यांकन हेतु दिया जाय। 3. मूल्याँकन करने हेतु कॉपियाँ देते समय मूल्यांकन कर्ता का PAN No., बैंक का नाम तथा परीक्षक का अंग्रेजी के Capital Letters में (जैसा बैंक A/C मे है), IFS Code, A/C No.	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		आदि की जानकारी ले लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
4.	विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये उड़ाका दल के सदस्यों के पारिश्रमिक को पालीवार करने एवं ठहराव का दर अनुमन्य करने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
5.	विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा लेने गये परीक्षकों के ठहराव के दर अनुमन्य करने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
6.	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु स्थापित कंट्रोल रूम में सम्बद्ध शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
39.04	दिनाँक 27–02–2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	मा0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर में योजित वाद संख्या–76/2013, कु0 विरक्ति राय बनाम परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के प्रकरण पर विचार।	1. कुमारी विरक्ति राय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उनके एम0ए0 कार्यक्रम के अंकपत्र व उपाधि को निरस्त करने का कारण बताते हुए अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने की सूचना/पत्र प्रेषित कर दे दी जाय। 2. कुमारी विरक्ति राय के एम0ए0 कार्यक्रम की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय एवं	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी जाय। 3. कुमारी विरक्ति राय की जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष बी0ए0 कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करते हुए उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर में प्रस्तुत कर दिया जाय। साथ ही उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर को कुमारी विरक्ति राय के कार्यक्रम बी0ए0 की उपाधि जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष देने एवं एम0ए0 कार्यक्रम का अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
39.05	दिनाँक 08 जुलाई, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना	(i) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में 18 परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित थे। (ii) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में में कुल 31 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई। परीक्षा समिति ने विगत सत्र के UFM एवं संविक्षा के निर्णय की पुष्टि की। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा।	(i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय। (ii) परीक्षा केन्द्र उन्ही केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय। (iii) परीक्षा समय सारिणी (Time	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो। (iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिए अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
3.	परीक्षा सत्र जून 2015 के Flying squad/Observers की रिपोर्ट।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णया लिया कि Flying squad/Observers की रिर्पोट पर परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा दोनों पक्षों के पत्र को आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्रा शिकायतों के आधार पर परीक्षा केन्द्र को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रा प्रेषित किया जाय एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रिधीन है।
5.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक को Show cause notice दिया जाय एवं उनके जबाव को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
6.	**परीक्षा व्यवस्था** (i) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार।	परीक्षा समिति ने प्रश्न किया कि समस्त बिन्दु 18वीं परीक्षा समिति में भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं पुनः इसे इस परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तर्कसंगत	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा

	(ii) आन्तरिक/वाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार। (iii) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को आन्तरिक कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।	प्रतीत नहीं होता है। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि 18वीं परीक्षा समिति के सापेक्ष समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु गठित समिति का Action taken report आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
7.	कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि " केन्द्र संख्या एस–230 द्वारा पूर्ण अवहेलना की गयी है किन्तु एस–921 द्वारा अन्तिम दिन ही देर से भेजी गई है" को संज्ञान में लेते हुए दोनों परीक्षा केन्द्रों को स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
8.	परीक्षा सत्र जून–2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति।	परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा जून– 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों पर भेजी जा रही हैं। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
9 (i)	तीन परीक्षा केन्द्रों S-011 वी.एस. एस.डी. कालेज, कानपुर S-114 कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, गाजीपुर एवं S-065 डी.एस.एन. कालेज, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग को प्रेषित की गयी/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को प्राप्त करायी गयी परन्तु प्रेषित/प्राप्त करायी गयी उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग गोपनीय में उपलब्ध नहीं है।	(a) जाँच कमेटी अगले पाँच कार्य दिवस के अन्दर अपनी जाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि इसमें दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय। (b) परीक्षार्थियों द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर जिस प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका परीक्षा गोपनीय में उपलब्ध नहीं है उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाय। (c) परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.02 व 15.08 (iv) पर परीक्षा समिति द्वारा उसी परीक्षा सत्र के अन्य	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

		प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय किया गया था। (d) समस्त कार्यवाही एवं आख्या आगामी परीक्षा समिति में भी सूचनार्थ प्रस्तुत हो जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
(ii)	परीक्षा परिणाम CD में Write करा कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ Strong Room में सुरक्षित रखा जाय।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
40.06	दिनाँक 16 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	श्री मनोज कुमार मिश्र द्वारा BCA-18 एवं डॉ. सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिये जाने के प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री मनोज कुमार मिश्र एवं डॉ. सुभाष चन्द्र चादव के दयेक का भुगतान न किया जाय एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य से विरत रखा जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
2.	प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित होने के कारण शिक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की व्यवस्था में कोई परविर्तन कमेटी का गठन करके उसमें लिये गये निर्णय के आधार पर ही किया जाना सम्भव है। MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पर कराया जाय।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
3.	परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (मानक) की समीक्षा।	1. परीक्षा केन्द्र बनाते समय ध्यान रखा जाय कि हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र अवश्य हो। 2. छात्राओं की Safety व Security को ध्यान में रखते हुये छात्राओं के अध्ययन केन्द्र की संख्या यदि 50 हो तो भी स्वविवेकानुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। 3. विश्वविद्यालय (शांतिपुरम, फाफामऊ) में भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying Squad/Observers की रिर्पोट पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./5565/2015 दिनाँक 03/09/2015 एवं ओ.यू./5978/2015 दिनाँक 30/10/2015 द्वारा परीक्षा केन्द्रों को भेजे गये पत्र के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रेषित आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त आगामी परीक्षा दिसम्बर–2015 में परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जाय। सत्रांत परीक्षा दिसम्बर–2015 से Region Change करके उड़ाका दल के सदस्यों को भेजा जाय (Varanasi to Ghazipur, Ghazipur to Varanasi etc.) विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत आने	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक

		वाले परीक्षा केन्द्रों के सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय केन्द्र पर ही एकत्रित कराने के पश्चात् क्षेत्रीय समन्वयक को नोडल आफिसर बना कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
6.	भुगतान देयकों के मानक पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कमेटी का गठन कर मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
7.	BEd कार्यक्रम के अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
8.	प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
9.	परीक्षा दिसम्बर–2014 की Not Allowed उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही

			की जा चुकी है।
10.	Ph.D प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध है उन्हीं की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम्, फाफामऊ) में ही करायी जाय।	Ph.D प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध है उन्हीं की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम्, फाफामऊ) में ही करायी जाय। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
40.07	दिनाँक 01 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु चयनित एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई द्वारा अभी तक अनुबन्ध कर प्रेषित आगणन 535.60 लाख के विरुद्ध अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ न किये जाने के सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	योजना बोर्ड ने प्रशासनिक भवन के ग्राउन्ड तल को पूर्व में बना चुकी राजकीय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 33, इलाहाबाद के पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20–07–2015 के आधार पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन रु. 535.60 लाख पर उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम तल का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम को शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 33, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था को लगभग रु. 2.50 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
2.	विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम,

	सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता के सम्बन्ध में विचार।	स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	यूनिट 33, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाउण्ड्री का कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टी परपच हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 33, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यादेश दिया जा चुका है। फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है।
4.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही की जानी है।
40.08	दिनाँक 28 जुलाई, 2016 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		

1.	विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार के मानचित्र एवं आगणन पर विचार कर अग्रेतर निर्माण कराए जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार की भव्यता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाये साथ ही यदि लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसका प्रावधान कर लिया जाये। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार दो गेट का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं एक गेट का कार्य प्रगति पर है।
2.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में राजकीय निर्माण एजेन्सी सी.एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में आंशिक परिवर्तित मानचित्र पर विचार कर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचार।	योजना बोर्ड ने आंशिक परिवर्तित मानचित्र को बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रू. 117 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार रु. 117 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था द्वारा 50 प्रतिशत कार्य सम्पन्न किया जा चुका है तथा छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
3.	विश्वविद्यालय के आबंटित तीसरे प्लाट के भूमि 5.50 एकड़ के रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत राजकीय निर्माण एजेन्सी, सी. एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराए जा रहे चहार दिवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में मानचित्र पर पुनः विचार कर द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचारा।	योजना बोर्ड ने भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रू. 50 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33 उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रु. 125 लाख के सापेक्ष रु. 95.18 लाख व्यय करते हुए 70 प्रतिशत चहारदिवारी निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।
4.	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों के क्षमता का आडिटोरियम निर्माण कराए जाने हेतु मानचित्र पर विचार	योजना बोर्ड ने आडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से प्राप्त मानचित्र में प्रावधानित द्वितीय तल, सी.सी. रोड, हर्टीकल्चर कार्य,	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया

		गोदरेज चेयर, लोक निर्माण विभाग विद्युत वितरण खण्ड के पृथक प्रावधान को छोड़कर मानचित्र को उपयुक्त पाया। अतः प्रथम चरण में उक्त को छोड़ते हुए विभिन्न शासकीय एजेन्सी से आगणन प्राप्त कर न्यूनतम दर की एजेन्सी से कार्य कराये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	गया। निर्णयानुसार कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33 उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्यादेश दिया जा चुका है। फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर है।
5.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष कराये गये प्रसाधन कक्ष के कार्यों के सम्बन्ध में भेजे गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में शेष अंतिम किश्त के अवमुक्ति के औचित्य पर विचार।	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र दिनाँकित 25–06–2015 जिसमें बरामदा, रैम्प, सी.सी. टाइल्स, पृथक–पृथक चैनल गेट एवं आवश्यक वाशबेसिन का प्रावधान किया गया है एवं आगणन राशि में कोई वृद्धि नहीं किया गया है, को पूर्व मानचित्र दिनाँकित 27–01–2015 से बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रू. 1.80 लाख अवमुक्त करने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यपूर्ण हो चुका है।
40.09	विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1133/2016

			दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.10	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F. 1-3/2007(CPP-II) दिनाँक 05 मई, 2016 पर विचार।	चूँकि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इसकी कार्य प्रणाली अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। प्रवेश के उपरान्त शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री प्रेषित की जाती है। अतः विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शिक्षार्थियों के प्रवेश शुल्क वापस न किए जाने हेतु किए गए पूर्व की व्यवस्था को विद्या परिषद् ने उपयुक्त पाते हुए लागू रहने की संस्तुति की।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1132/2016 दिनाँक 19–11–2016 को प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
40.11	ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विचार	विद्या परिषद् ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1130/2016 दिनाँक 19–11–2016 को प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
40.12	दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की बैठक दिनाँक 23–11–2015 एवं	विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठक (दिनाँक	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा

	26–12–2015 की अनुशंसा पर विचार।	23–11–2015 एवं 26–12–2015) की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1131/2016 दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.13	राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1135/2016 दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.14	विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन प्रस्तावित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1134/2016 दिनाँक 19–11–2016 को समस्त निदेशकों को पत्र कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
40.15	विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.16	विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016 की अनुशंसाओं पर विचार।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.17	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत होना	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.18	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन पर विचार।	विद्या परिषद् प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.19	विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही

	तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन पर विचार।	शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।	प्रक्रियाधीन है।
40.20	पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।	पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा। विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1127/2016 दिनाँक 19–11–2016 को परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
40.21	समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास में एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किये जाने पर विचार।	समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा। विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1128/2016 दिनाँक 19–11–2016 को परीक्षा नियंत्रक को कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
40.22	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त	दिनाँक 03–09–2016 को

	विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर पुनः विचार।	विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश के अन्तर्गत विहित अधिनियम जो परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा लागू की गयी विश्वविद्यालयों के प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को सम्यक अध्ययन कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी. /(38–85)/1129/2016 दिनाँक 19–11–2016 को निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.23	दिनाँक 26 अगस्त, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार		
1.	सत्र 2015–16 में खोले गये 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना	मान्यता बोर्ड 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रग के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	सत्र 2015–16 में 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	मान्यता बोर्ड 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

		अवगत हुई।	
4.	ऐसे अध्ययन केन्द्रों जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2016–17 से स्थगित/निरस्त किये जाने पर विचार	*मान्यता बोर्ड ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :–* *उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है, को सत्र 2016–17 से निलम्बित किया जाय। संस्थानों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से 06 तक है (विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर), को सत्र 2016–17 से निरस्त किया जाय। निलम्बित/स्थगित अध्ययन केन्द्रों को सूचना विवरणिका एवं वेबसाइट के एडमीशन पोर्टल से हटा दिया जाय।* *उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करें।* *संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से उनके वर्तमान स्थिति (Present Status)*	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		तथा आधारभूत संरचनाओं यथा भवन, लैब, पुस्तकालय इत्यादि व शिक्षक आदि से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त कर ली जाय। *निलम्बित/स्थगित (महाविद्यालय में स्थापित) अध्ययन केन्द्रों द्वारा भविष्य में पुनः संचालन हेतु अनुरोध करने पर विचार किया जाय।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
5.	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड "नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगी," पर सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
6.	उत्कृष्टता पुरस्कार दिये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड ऐसे पाँच उत्कृष्ट अध्ययन केन्द्रों, एक गैर–अध्ययन केन्द्र महाविद्यालय, एक उत्कृष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उत्कृष्टता पुरस्कार निर्धारण समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कृत किये जाने पर सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

		यथावत स्वीकार किया।	
7.	इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र को बन्द/निरस्त किये जाने पर विचार।	मान्यता बोर्ड इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र एस.के.बी.एम. इण्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर (एस–035) को सत्र 2016–17 से बन्द/निरस्त किये जाने तथा इस अध्ययन केन्द्र पर नामांकित छात्र/छात्राओं को उनकी इच्छानुसार अन्य अध्ययन केन्द्रों, जहाँ सम्बन्धित विषयों की मान्यता हो, पर सम्बद्ध किये जाने पर सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
40.24	Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.No. 18-16/2016-DL दिनाँक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने पर विचार।	**विद्या परिषद् ने Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.No. 18-16/2016-DL दिनाँक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया।**	दिनाँक 03–09–2016 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
40.25	विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यो के प्रगति से अवगत होना।	विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यो के प्रगति से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

40.26	विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के शर्तो के अधीन अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की भाँति विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनाँक 02–09–2016 द्वारा शपथ पत्र भेजते हुए Ph.D/M.Phil कार्यक्रम चलाए जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने की की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए अवगत हुई। विद्या परिषद् Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के अनुसार Ph.D/M.Phil कार्यक्रम का संचालन शीघ्र शुरू किए जाने की संस्तुति की।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.03

विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओंसे ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना

विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओं से ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व–अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू. /1015/2016 दिनाँक 10–11–2016 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) Policy के अन्तर्गत विभिन्न विद्या शाखाओंसे ऑन लाइन एवं प्रिण्ट स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने हेतु Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA) को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.04

पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा पर विचार

पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा **संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या 110–113** पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया/दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.05

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची पर विचार

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची विभिन्न विद्या शाखा द्वारा उपलब्ध करायी गई है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

शिक्षा विद्या शाखा :–

1. प्रो. पी.के. पाण्डेय, प्रोफेसर
2. डॉ. जी.के. द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ. दिनेश सिंह, सहायक निदेशक/असिस्टेंट प्रोफेसर
4. डॉ. मुकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा :–

1. डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक
2. डॉ. ज्ञान प्रकाश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ. देवेश रंजन त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर

मानविकी विद्या शाखा :–

1. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक
2. डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष
3. डॉ. रूचि बाजपेई, असिस्टेंट प्रोफेसर

4. डॉ. आर.जे. मौर्य, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
5. डॉ. साधना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर

विज्ञान विद्या शाखा :–

1. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक
2. डॉ. श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर

समाज विज्ञान विद्या शाखा :–

1. डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ. सन्तोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर

कृषि विज्ञान विद्या शाखा :–

1. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक (सह–पर्यवेक्षक के रूप में)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी–एच.डी. कार्यक्रम के निर्देशन हेतु अर्ह शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों की सूची को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.06

विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार

इस विश्वविद्यालय में मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में प्राध्यापक की नियुक्ति न होने के कारण शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे अधिन्यास निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन का कार्य आदि वाह्य परीक्षकों से कराई जाती है।

अतः विश्वविद्यालय में मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रजी विषय में 01 परामर्शदाता नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.07

विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने पर विचार

इस विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में प्राध्यपक की नियुक्ति न होने के कारण शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे अधिन्यास निर्माण, प्रश्न पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन का कार्य आदि वाह्य परीक्षकों से कराई जाती है।

अतः विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में 01 पद पर परामर्शदाता नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित पर्यावरण अध्ययन विषय में परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.08

विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित योग कार्यक्रम की प्रगति से अवगत होना

राष्ट्रीय स्तर पर योग की अत्यधिक मांग एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर योग कार्यक्रम चलाये जाने हेतु पाठ्यक्रम सी.बी.सी.एस. प्रणाली के आधार पर तैयार कर लिया गया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित योग कार्यक्रम की प्रगति से अवगत हुई तथा विद्या परिषद् ने मानविकी विद्या शाखा द्वारा प्रस्तुत (संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या 114-121) योग में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा चलाये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.09

विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा पर विचार

विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 (संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या 122) में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :–

1. जिन अभ्यर्थियों ने एम.ए. (परास्नातक) स्तर पर शिक्षाशास्त्र की उपाधि प्राप्त की है उनके एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) तथा स्नातक स्तर पर BA/B.Sc/B.Com आदि के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाना उचित होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों ने परास्नातक के रूप में एम.एड. किया है उनके एम.एड. एवं स्नातक स्तर पर बी.एड. के प्राप्ताकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाना उचित होगा।
3. जिन अभ्यर्थियों ने एम.ए. (शिक्षाशास्त्र) तथा M.Ed दोनों उपाधियाँ प्राप्त की है उनके MA (शिक्षाशास्त्र) तथा M.Ed उपाधि में जिसके भी प्राप्तांक अधिक हो उसी पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा और इसी आधार पर यदि M.A. (Edu.) में प्राप्तांक अधिक है तो परास्नातक पर M.A. व स्नातक स्तर पर BA/B.Sc/B.Com आदि तथा यदि M.Ed स्तर पर प्राप्तांक अधिक है तो परास्नातक स्तर पर तथा M.Ed व स्नातक स्तर हेतु B.Ed के प्राप्तांकों को आधार बनाया जाना उपयुक्त होगा।
4. एकल विषय स्नातक में प्राप्त अंकों की गणना स्नातक के साथ नहीं की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में पी–एच.डी. प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में नेट/जे.आर.एफ. एवं प्रवेश परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की योग्यता के निर्धारण हेतु शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक दिनाँक 24–10–2016 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.10

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए जाने हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को आवेदन किया गया था किन्तु इस सन्दर्भ में कोई अपेक्षित प्रगति न होने के कारण पुनः सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को आवेदन पत्र सहित समस्त पत्रजातों की छाया प्रति प्रेषित करने के उपरान्त 03 अनुस्मारक प्रेषित किये जा चके हैं।

कम्प्युनिटी रेडियों की स्थापना हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में स्थित छात्र–छात्राओं के पठन–पाठन हेतु विश्वविद्यालय में कम्युनिटी रेडियो स्थापित किए जाने हेतु की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.11

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना

समाज विज्ञान विद्या शाखा

समाज विज्ञान विद्या शाखा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के स्व–अध्ययन सामग्री लेखन के अन्तर्गत UGSY-01 से UGSY-04 तक एवं UGSY-06 में लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। UGSY-05 में लेखन एवं सम्पादन कार्य प्रक्रिया में हैं। इसी प्रकार UGPS-01 से 07 तक लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। MASW-01 से 03 तक लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। MASW-04 एवं 05 सम्पादन की प्रक्रिया में हैं। MASW-06,07 मुद्रण हेतु प्रेषित किया जा चुका है। MASW-09 सम्पादन की प्रक्रिया में हैं। UGHY एवं MAHY की स्व–अध्ययन सामग्री लेखन एवं सम्पादन की प्रक्रिया में हैं।

शिक्षा विद्या शाखा

शिक्षा विद्या शाखा से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में B.Ed.-01 से 03 तक मुद्रित है। B.Ed.-04 से 06 एवं 21 से 24 तक लेखन प्रक्रिया में हैं। B.Ed.(SE)-01 से 05 तक मुद्रित हैं। MAED-01 से 09 तक मुद्रित है। UGED-01 से 06 तक मुद्रित है। UGSED-01 से 04 तक लेखन प्रक्रिया में हैं। PGDVGCC-01 से 05 तक मुद्रित है।

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा

प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित बी.काम. (प्रथम वर्ष) के चार प्रश्नपत्र के लेखन एवं सम्पादन का कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रकाशन हेतु कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। बी.बी.ए. (प्रथम वर्ष) के आठ प्रश्नपत्र का लेखन एवं सम्पादन कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु दो प्रश्नपत्रों में सम्पादक द्वारा दिये गये सुझावों को अमेलित करने के लिए पुनः लेखकों के पास प्रेषित किया गया है। एम.बी.ए. (प्रथम वर्ष–प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर) के 12 प्रश्नपत्रों में 6 प्रश्नपत्रों के लेखन एवं सम्पादन का कार्य पूर्ण हो चुका है और इन्हें प्रकाशन हेतु कुलसचिव कार्यालय को

उपलब्ध करा दिया गया है। शेष 6 प्रश्नपत्र सम्पादन एवं सम्पादकों के सुझावों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया में हैं।

मानविकी विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा

मानविकी विद्या शाखा से सम्बन्धित कार्यक्रम एम.ए. (हिन्दी) के 09 प्रश्नपत्रों में से अधिकांश का लेखन कार्य पूर्ण हो चुका है। बी.ए. (हिन्दी) में 01 से 09 प्रश्नपत्र मुद्रित हो चुके हैं। एम.ए. (संस्कृत) के प्रश्नपत्र 01 से 04 तक मुद्रित हैं। शेष का सम्पादन कार्य पूर्ण कर कतिपय सुधार हेतु लेखकों के पास हैं। बी.ए. (उर्दू) के प्रश्नपत्र 01 से 05 का सम्पादन तथा 06 एवं 07 का लेखन कार्य पूर्ण हो चुका है। बी.ए. (दर्शनशास्त्र) प्रश्न पत्र 02 से 06 तक लेखन कार्य पूर्ण हो चुका हैं प्रश्नपत्र 01 के दो खण्ड शेष हैं। एम. ए. (दर्शनशास्त्र) के प्रश्नपत्र 01, 03, 09, 10 एवं 12 का लेखन कार्य पूर्ण शेष का लेखन कार्य जारी है। पुस्तकालय विज्ञान MLIS कुल 08 प्रश्नपत्रों में से 01 एवं 03 का पूर्ण शेष प्रगति पर हैं। एम.ए. (अर्थशास्त्र) के चार प्रश्नपत्रों का मुद्रण हो चुका है शेष कार्य प्रगति पर हैं। बी.ए. (अर्थशास्त्र) के चार प्रश्नपत्रों का लेखन कार्य पूर्ण शेष 03 प्रश्नपत्रों का सम्पादन कार्य पूर्ण है। स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा से सम्बन्धित DHEN, DECE एवं DCDM कार्यक्रम की स्व–अध्ययन सामग्री के लेखन का कार्य प्रगति पर है। स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जा चुका है।

कृषि विज्ञान विद्या शाखा

कृषि विज्ञान विद्या शाखा से सम्बन्धित APDF, CLPS, CCMAP एवं CPHT&VA कार्यक्रमों से से CPHT&VA की विषय सामग्री में कतिपय संशोधनोपरान्त स्व–अध्ययन सामग्री के निर्माण का कार्य चल रहा है। CIP, CIB M.Sc-AgExt. एवं PGD-AgExt. के लेखकों की सूची तैयार की जा रही है। विगत वर्षो में संचालित तीन कार्यक्रम COF, DDT एवं DVAPFV जो किन्ही कारणों से स्थगित हैं के लेखन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा

विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा में पाठ्य सामग्री निर्माण के क्रम में अवगत कराना है कि BCA, MCA एवं Chemistry में क्रमशः 03, 03, एवं 01 प्रश्नपत्र मुद्रण हेतु भेजे गये हैं। BCA, MCA, Chemistry, Statistics, B.Sc.(CS) कार्यक्रमों में क्रमशः 06, 01, 04, 04, 04 सम्पादन में एवं 07, 07, 08, 16, 03 में लेखन कार्य चल रहा है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की स्व अध्ययन सामग्री निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.12

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराया जाना है। इस प्रक्रिया द्वारा हिन्दी भाषी प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी उपाधि प्रस्तुत करने में शिक्षार्थियों को सुगमता होगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में शिक्षार्थी के माता/पिता/पति का नाम दोनों भाषाओं (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में मुद्रित कराये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.13

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली उपाधि में अधिक पारदर्शिता के दृष्टिगत सत्र जुलाई 2017–18 से प्रवेशित शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् फोटो युक्त उपाधि मुद्रित किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.14

छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने पर विचार

छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने छात्र/छात्राओं को प्रदान किए जाने वाले अंक पत्रों एवं उपाधियों पर विश्वविद्यालय के आधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर होने तथा डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अंक पत्र एवं उपाधि को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.15

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में कार्यवाही पर विचार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान विद्या शाखा द्वारा मानवाधिकार से सम्बन्धित सी.एच.आर. कार्यक्रम संचालित होने तथा परास्नातक स्तर पर वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम **'मानवाधिकार एवं कर्तव्य'** प्रश्न पत्र संचालित होने की सूचना देते हुए स्नातक स्तर पर मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रश्न पत्र सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर, 2012 में मानवाधिकार शिक्षा पर उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के

सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 916/सत्तर–1–2016 दिनाँक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा को कार्यक्रमों के प्रारूप तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 41.16

दिनाँक 07 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष अमूल्यांकित अधिन्यास/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष ऐसे परीक्षार्थी लगभग 1500 जो अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिन्यास कार्य समय के अन्दर अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर दिये हैं एवं सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र द्वारा अधिन्यास की कापियों को मूल्यांकन कराये जाने हेतु अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर प्रेषित कर दिया गया है, सूच्य है कि पूर्व में मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र का गठन नहीं होने के कारण एवं दो बार अधिन्यास की तिथि बढ़ाये जाने के कारण क्षेत्रीय केन्द्र के सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अधिन्यास जमा करने हेतु असमंजस की स्थिति रही फिर भी मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोंजित की गई कार्याशाल में आये प्राचार्य/समन्वयकों द्वारा यह बताया गया कि अधिन्यास अन्तिम तिथि के अन्दर क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दिये गये थे। इससे सम्बन्धित छात्र–छात्राओं के प्रार्थना पत्रों को भी दिया गया है। जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र को एक पत्र प्रेषित है।

यदि क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि अधिन्यास समय से प्राप्त हो गये हैं, तो उन प्रकरणों पर छात्रहित में विचार करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों की सत्रांत दिसम्बर 2014 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराये जाने एवं परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र दिसम्बर 2014 के मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र के अतिरिक्त ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के जो निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अपने कार्यक्रम की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं को जमा किर दिये थे, की जानकारी सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त करने एवं उनके मूल्यांकन हो जाने के की पुष्टि के उपरान्त ही उनकी सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। यदि किसी परीक्षार्थी की अधिन्यास उत्तर पुस्तिका निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर

जमा होने के उपरान्त भी अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न हुआ या किसी परीक्षार्थी के द्वारा जमा की गई अधिन्यास उत्तर पुस्तिका के न मिल पाने की स्थिति में साक्ष्य के साथ परीक्षार्थी से पुनः अधिन्यास कार्य पूर्ण कराकर उन्हें सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं के साथ मूल्यांकन कराते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रथम एंव द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

समस्त परीक्षार्थियों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र विश्वविद्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध रहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्तिम वर्ष के अंकपत्र में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों के समस्त विवरण यथा प्रश्न–पत्रों के अंक, अधिन्यास अंक, क्रेडिट, एंव <u>उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण</u> की स्थिति उपलब्ध रहता है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र निर्माण में व्यर्थ की समय हानि, जन शक्ति इत्यादि का हनन होता है। यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किया जा सकता है। शिक्षार्थियों को उनके मात्र अन्तिम वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी में दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परास्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके द्वितीय वर्ष एवं स्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके तृतीय वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी उपल्बध करायी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र की हार्ड कापी को निर्गत किया जा सकता है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. <u>एकल विषय के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनकी उपाधि निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

श्री राज्यपाल सचिवालय से एकल विषय कार्यक्रम के संचालन को अग्रिम निर्णय तक बन्द किये जाने सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम के संचालन को बन्द कर दिया गया है।

वर्तमान में सत्र 2013–14 तक लगभग 35000 शिक्षार्थी एकल विषय कार्यक्रम में उतीर्ण हो चुके हैं। उन्हें उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय का दायित्व है। तमाम परीक्षार्थियों के द्वारा अपने उपाधि हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपाधि प्राप्त करने हेतु समय–समय पर पत्र प्राप्त होता रहता है। पूर्व में लगभग 928 शिक्षार्थियों अनुमोदित प्रारुप पर प्रमाण–पत्र निर्गत किए जा चुके हैं।

वर्तमान में सत्र 2013–14 तक लगभग 35000 शिक्षार्थी जो एकल विषय में उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें अनुमोदित प्रारुप पर उनकी उपाधि को निर्गत किये जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एकल विषय के ऐसे लगभग 35000 समस्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रारुप में उपाधि के स्थान पर प्रमाण–पत्र व Degree के स्थान पर Certificate को संशोधित करते हुए एवं सम्बन्धित परीक्षार्थियों से उनके स्नातक कार्यक्रम को पूर्ण करने के साक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त ही निर्गत करने की सहमति दी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर की व्यवस्था किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर उपयोग से सम्बन्धित देयकों में भुगतान सम्बन्धी प्रकरण सामने आते रहते हैं। सूच्य है कि विभिन्न परीक्षाओं में पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या कम होने पर भी आन्तरिक उड़ाका दल के भुगतान हेतु प्रकरण सामने आते रहते हैं।

जबकि संख्या कम होने की स्थिति में आन्तरिक उड़ाका दल की आवयश्कता प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार जनरेटर का उपयोग सम्पूर्ण परीक्षा के दौरान दिखाया जाता है जबकि वस्तुस्थिति में जनरेटर का उपयोग यदाकदा ही किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार कम से कम 100 परीक्षार्थियों के होने पर ही आन्तरिक उड़ाका दल को भेजे जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं परीक्षा केन्द्रों पर जनरेटर की व्यवस्था में प्रस्तुत बिल के साथ लाग–सीट एवं डीजल रशीद दिये जाने पर ही भुगतान किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी परीक्षाओं हेतु आन्तरिक उड़ाका दल के स्थान पर Inter Centre प्रक्रिया के तहत इस कार्य को कराया जाय एवं उनसे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक/प्राचार्य द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्तुत किया जाय। ऐसे प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षकों के द्वारा भी प्रस्तुत किये जायें। परीक्षा समिति ने जनरेटर की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिल के साथ पर्याप्त प्रमाण यथा जनरेटर होने का प्रमाण एवं लागसीट प्रस्तुत किये जायें।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. **<u>अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष Award List पर अंक प्राप्त हो जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>**

कानपुर क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत बनाये गये मूल्यांकन केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा दिसम्बर–2015 परीक्षा के सापेक्ष छात्रा आरजू कटियार की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन कराये बिना उनके सत्रांत परीक्षा के Award List पर अंक प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में छात्रा आरजू कटियार नामांकन संख्या 310101010003 के प्रकरण में यह दृष्टिगत हुआ है कि छात्रा ने सभी परीक्षाएं दी हैं जिससे सम्बन्धित P7 प्रमाण के रुप में उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में नोडल मूल्यांकन प्रभारी को सम्बन्धित प्रकरण पर अपनी आख्या देने के साथ कि उक्त परीक्षकों से भविष्य में मूल्यांकन न कराया जाय सम्बन्धी चेतावनी पत्र निर्गत किया गया।

छात्रा के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा दिया गया है। उक्त छात्रा आरजू कटियार के परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय एवं सम्बन्धित परीक्षकों के भुगतान को रोक दिया जाय यदि भुगतान हो गया हो तो विश्वविद्यालय नियमानुसार उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाय। ऐसे परीक्षको को आगामी परीक्षाओं हेतु रोक लगाते हुए भविष्य में इनसें किसी भी प्रकार के मूल्यांकन का कार्य न कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. <u>विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को अलग–अलग वर्षों हेतु एक ही कार्यक्रम के लिये भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिया गया है, से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र भगवानदीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर–खीरी (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग–अलग वर्षों हेतु भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिये जाने के कारण उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किये जाने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में प्रवेश अनुभाग द्वारा प्राप्त आख्या के उपरान्त भी समस्या आ रही है।

ऐसे समस्त शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम हेतु प्रवेश अनुभाग द्वारा ऐसे नामांकन संख्या को आंवांटित कर दिया जाय जो किसी भी अन्य शिक्षार्थी को आवांटित न हो एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्राप्ति के उपरान्त उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे शिक्षार्थियों के नामांकन हेतु प्रवेश प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालते हुए शिक्षार्थियों के परीक्षाफल को घोषित कर दें।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. **छात्रा सुश्री अर्चना भारती के UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर औसत अंक के निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार**

सुश्री अर्चना भारती द्वारा दायर याचिका संख्या 31641/2016 के छात्रा अर्चना भारती की UGST-05 की उत्तर पुस्तिका न हीं विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार से सम्बन्धित समस्त पत्राजात (संलग्नक–06, पृष्ठ संख्या–41–58) पर उपलब्ध है। सुश्री अर्चना भारती द्वारा दायर याचिका के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि छात्रा की UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लेते हुए परीक्षाफल घोषित किया जायं। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश के अनुपालन हेतु चार सप्ताह का समय दिया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छात्रा को उनके अन्य प्रश्न–पत्रों में प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र हेतु औसत अंक देते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा अर्चना भारती के अन्य प्रश्न–पत्रों मे प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र में औसत अंक प्रदान करने के पूर्व छात्रा के हस्ताक्षर का मिलान अन्य प्रश्न–पत्रों की उपस्थिति प्रपत्र (P-7) से भी कराते हुए छात्रा का परीक्षाफल घोषित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. **मूल्यांकन कार्य हेतु नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार**

मूल्यांकन कार्य हेतु पूर्व में नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने की प्रथा रही है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उनको निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान भी किया जाता है। चूंकि क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अपने सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को मंगाने एवं उनके

मूल्यांकन हेतु अनुमोदित परीक्षकों से मूल्यांकन कराये जाने से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। नोडल मूल्यांकन प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराये जाने में अधिक समय लगता है एवं क्षेत्रीय निदेशक और मूल्यांकन प्रभारी को उत्तर पुस्तिकाओं के लेने देने एवं अन्य समस्याओं के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब होता है।

अतः नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उपरोक्त कार्य क्षेत्रीय निदेशकों के देखरेख में कराये जाने एवं क्षेत्रीय निदेशकों को निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों में तत्समय जैसी आवयश्कता हो परीक्षा नियंत्रक अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हुए कार्य को सम्पादित करायें।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. <u>विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा पूर्व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा आयोंजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व परीक्षा की सुचिता, नकल विहिन परीक्षा, परीक्षार्थियों की सुविधा इत्यादि से सम्बन्धित एक शपथ पत्र रु. 10/– के नान जुडिस्यिल स्टाम्प पेपर पर लेने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे परीक्षा केन्द्रों में जो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय हों उन्हीं से शपथ–पत्र लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. <u>पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं में पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कई कर्मचारियों को देर तक रुककर काम करना पड़ता है। कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों को उनके पद के अनुरुप पारिश्रमिक दिये जाने की आवयश्कता प्रतीत होती है।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं हेतु पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय प्रस्तावित किया जाता है :–

1.	तृतीय श्रेणी	रु. 20/–	प्रति अतिरिक्त घंटा
2.	कुशल श्रमिक	रु. 15/–	प्रति अतिरिक्त घंटा
3.	अकुशल श्रमिक	रु. 10/–	प्रति अतिरिक्त घंटा

परन्तु एक माह में अधिकतम रु. 2000/– तृतीय श्रेणी, रु. 1500/– कुशल श्रमिक एवं रु. 1000/– अकुशल श्रमिक को विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त भुगतान किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

11. **परीक्षा गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था हेतु भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार**

विश्वविद्यालय की परीक्षा में गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामशदाताओं एवं कर्मचारियों को कई स्थानों पर ठहरने हेतु उनकी अपनी व्यवस्था न होने के कारण अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसमें उनका अपना व्यय होता है। जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। अतः निम्नानुसार भुगतान किए जाने को प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

1. A ग्रेड श्रेणी के शहर हेतु रु. 700/–
2. B ग्रेड श्रेणी के शहर हेतु रु. 600/–
3. C ग्रेड श्रेणी के शहर हेतु रु. 500/–

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय नियमानुसार जो यात्रा व्यय दिया जाता है उसी के अन्तर्गत भुगतान किया जाय। यात्रा की व्यवस्था में जहाँ तक सम्भव हो यात्रा हेतु प्रातः प्रस्थान कराया जाय एवं ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.17

दिनाँक 19 नवम्बर, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. **सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना**

सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु समय–समय पर कुल 17 आवेदन–पत्र/ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने परीक्षणोंपरान्त कुल 04 महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की अनुशंसा की (संलग्नक– 05 पृष्ठ संख्या– 123) एवं 13 महाविद्यालय/संस्थान को विश्वविद्यालय मानकों की पूर्ति न होने की कारण असंस्तुत किया (संलग्नक–06 पृष्ठ संख्या– 124)। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सत्र 2016–17 से 04 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड सत्र 2016–17 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. <u>सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत होना।</u>

सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर कुल 19 आवेदन–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने परीक्षणोंपरान्त कुल 09 अध्ययन केन्द्रों के अतिरिक्त वांछित कार्यक्रम संचालन हेतु अनुशंसा की गई (संलग्नक– 07 पृष्ठ संख्या– 125) तथा कुल 10 प्रस्तावों को विश्वविद्यालय के मानक की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत किया (संलग्नक– 08 पृष्ठ संख्या– 126)। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा से सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित 09 अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड सत्र 2016–17 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित निर्णयों से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. <u>अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त पर विचार</u>

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त संलग्नक –09 पृष्ठ संख्या 127–144 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-

2016 की कार्यवृत्त संलग्नक–01 के बिन्दु सं.–9 के क्र.सं. 3, 5 तथा 10 में कतिपय संशोधन के साथ सहमत हुई :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित मानक	संशोधित मानक
1.	MJ	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, **अंग्रेजी, उर्दू,** राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान **आदि**) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव
2.	MCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty.
3.	BCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था।	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था। एवं (i) न्यूनतम 15 कम्प्यूटर वाली सुसज्जित प्रयोगशाला। (ii) न्यूनतम 100 Titles की पुस्तकों वाला पुस्तकालय। (iii) ब्राड बैण्ड/इन्टरनेट सुविधा। (iv) न्यूनतम 03 अर्ह Guest Faculty. (v) 10+2 अर्हता स्तर के डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 02 वर्ष का

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रस्तावित मानक	संशोधित मानक
			अनुभव।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. **नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया पर विचार**

नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन–पत्रों/प्रस्तावों के निस्तारण प्रक्रिया (मान्यता बोर्ड का कार्यवृत्त 19.07) यथावत रखने पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

बिन्दु संख्या 41.18

दिनाँक 19 नवम्बर, 2016 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।

1. **विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने पर विचार**

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास कोई बड़ा हाल उपलब्ध न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना

पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल में परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण कराये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02के निर्माण के सम्बन्ध में उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई–02 द्वारा आगणन रू. 676.29 लाख का अनुमानित आगणन प्रस्तुत किया गया जबकि दूसरी कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा रु. 343.76 लाख का अनुमानित आगणन प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्था सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद का आगणन कम होने के कारण कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। अनुबंध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कर्मचारी आवास टाइप–01 एवं टाइप–02 से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराये जाने से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. <u>विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि रु. 12.06 लाख के आगणन के

सापेक्ष अनुबन्ध की शर्तों के अधीन प्रथम किश्त के रूप में अनुमानित लागत रु. 12.06 लाख का 80 प्रतिशत कुल धनराशि रु. 9.64 लाख कार्यदायी संस्था सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद अवमुक्त किया जा चुका है। वर्तमान में दो गेट का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक गेट का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों (गंगा एवं सरस्वती परिसर) में अवस्थित महाद्वारों के निर्माण/सौन्दरीकरण (रिनोवेशन) से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. **विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना**

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में 1000 व्यक्तियों की क्षमता हेतु आडिटोरियम कम मल्टीपरपज हाल के निर्माण हेतु प्राप्त आगणन में रू. 988.34 लाख न्यूनतम पाए जाने पर सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अनुबन्ध के उपरान्त अनुबंधित धनराशि रू. 988.34 लाख का 25% (रू. 247 लाख) अग्रिम प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है। नींव का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

5. **विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण की प्रगति से अवगत होना**

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद का भवन निर्माण कराए जाने के निमित्त सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा गठित अनुबन्ध की शर्त संख्या–07 के अनुसार अनुबंधित धनराशि रु. 99.42 लाख के सापेक्ष 25% अग्रिम के रूप

में रू. 24.85 लाख अवमुक्त किया जा चुका है। क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन हेतु पाइलिंग फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्रिड बीम का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद के भवन निर्माण की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. <u>विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय स्थित गेस्ट हाउस में विशिष्ट अतिथियों हेतु दो कमरे सुसज्जित कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण वित्त समिति की बैठक दिनाँक 15 फरवरी, 2016 में रखा गया जिसमें वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 06 मार्च, 2016 के संकल्प संख्या 83.14(6) में यथावत स्वीकार किया :–

कार्य परिषद् ने गेस्ट हाउस साज–सज्जा विकास कार्य एवं विश्वविद्यालय सुन्दरीकरण व अन्य निर्माण मदों के लिए अनुमोदित बजट से विश्वविद्यालय स्थित गेस्ट हाउस में 02 कमरों को पूर्णतः सुसज्जित करने का निर्णय लिया।

विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस स्थित कक्ष संख्या 102 एवं 103 को मिलाकार एक वी.आई.पी. सूट बनाए जाने हेतु सहमति व्यक्त की। साथ ही उसी प्रकार एक अतिरिक्त वी.आई.पी. सूट बनाये जाने की संस्तुति की।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. **विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में विचार**

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाना है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. **विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत होना**

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण का कार्य सी.एण्ड.डी.एस, यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। इस इकाई के द्वारा 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। छत की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कार्य की प्रगति से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

9. **विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में स्मार्ट क्लास रूम/लैब की स्थापना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत होना**

विश्वविद्यालय के विज्ञान विद्या शाखा तथा कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा में स्मार्ट क्लास रूम/लैब का उपभोग विभिन्न विषयों को इ–कन्टेन्ट में बदलने, मैसिव ओपेन ऑन

लाइन कोर्स (मूक) के अन्तर्गत वीडियो लेक्चर तैयार करने में तथा वर्कशाप के आयोजन में उक्त लैब की स्थापना हेतु मूलभत आवश्यकताओं की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में स्मार्ट क्लास रूम/लैब की स्थापना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

10. <u>विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु निजी भवन की व्यवस्था किये जाने पर विचार</u>

योजना बोर्ड ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए भूमि/भवन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कुलसचिव महोदय को अधिकृत किया एवं प्रथम चरण में लखनऊ तथा वाराणसी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देशित किया।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

<u>कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.18</u>

<u>विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों हेतु मुद्रित पाठ्य सामग्री रखे जाने हेतु गंगा परिसर स्थित बैंक के पीछे 03 मंजिला भवन निर्मित कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय में पर्याप्त भण्डारन व्यवस्था न होने के कारण पाठ्य सामग्री प्रति वर्ष मुद्रित करानी पड़ती है जिससे विश्वविद्यालय पर अधिक व्यय भार पड़ता है जबकि एक बार मुद्रित करायी गई सामग्री कई वर्षो तक प्रयोग में लायी जा सकती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों हेतु मुद्रित पाठ्य सामग्री रखे जाने हेतु गंगा परिसर स्थित बैंक के पीछे 03 मंजिला भवन निर्मित कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 41.19

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त क्षेत्रीय क्षेन्द्रों पर 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों पर शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन–अध्यापन की सुविधा के दृष्टिगत 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र, जिसमें प्रवेश, परामर्श, परीक्षा तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का सम्पादन सुनिश्चित कराया जा सके, स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त क्षेत्रीय क्षेन्द्रों पर 01–01 सुविधा सम्पन्न अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ.(आर.के. पाण्डेय)
कुलसचिव

संलग्नक - 01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3	प्रो. के.एस. मिश्र, डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो. एच.एस. उपाध्याय, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ. अरविन्द दीक्षित, एसोसिएट प्रोफेसर, वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर	सदस्य
6.	डॉ. ओम जी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
8.	डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
9.	डॉ. आर.पी.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
10.	प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा.विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
11.	डॉ. इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य

12. डॉ. श्रुति, सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

13. डॉ. मुकेश कुमार सदस्य
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

14. श्री डी.पी. त्रिपाठी सदस्य–सचिव
कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

01 प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)

02. डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया। माननीय कुलपति जी ने विद्या परिषद् के नये सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की। कुलपति जी ने नये सम्मानित सदस्यों का परिचय विद्या परिषद् के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से कराया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 40.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनाँक 19 जून, 2015 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक पृष्ठ संख्या** ------- पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली की बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 40.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
40.01	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 20 नवम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.02	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 20 नवम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
40.03	दिनाँक 03 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालयों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था के उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।	योजना बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालयों हेतु भूमि/भवन व्यवस्था के उपलब्धता हेतु आवश्यकतानुसार संरचना/प्रस्ताव (मॉडल) तैयार किया जाय एवं उसी के अनुरूप सभी क्षेत्रीय केन्द्रों हेतु स्थान का निर्धारण कर भूमि/भवन प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
2.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्माणदायी संस्था RYTES से कार्य कराये जाने की सम्भावना तलाशी जाय। मास्टर प्लान के अनुसान निर्माण कार्य के समय	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। *विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल का निर्माण*

		विश्वविद्यालय एक आर्कीटेक्ट के माध्यम से समय–समय पर गुणवत्ता का परीक्षण कराये। योजना बोर्ड की उक्त संस्तुति के सन्दर्भ में प्रकरण वित्त समिति की दिनाँक 10–03–2015 के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। *"वित्त समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की :–* (1) *"राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगणन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।"* (2) *भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।* (3) *विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत्रों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"* वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24 मार्च, 2015 को यथावत स्वीकार किया। विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।	*कार्य सी.एन.डी., स., यूनिट–33, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।*
3.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित दीक्षान्त समारोह प्रांगण का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी" के नाम से किए जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में अवस्थित मैदान का नामकरण "महामना पं. मदन मोहन मालवीय दीक्षान्त समारोह प्रांगण" के नाम से किए जाने की संस्तुति की।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं

		सम्बन्धित प्रकरण कार्य परिषद् की दिनाँक 23 नवम्बर, 2014 की बैठक में प्रस्तुत किया गया था जिसे कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।	है।
4.	विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में शिक्षार्थियों के उत्तरोत्तर वृद्धि एवं अन्य बढ़ते हुए कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसर में बैंक एवं पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/ अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/ अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने की संस्तुति की। प्रसाधन निर्माण हेतु सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, यूनिट–33, इलाहाबाद एवं राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी ईकाई, फाफामऊ, इलाहाबाद से भी आगणन प्राप्त किया गया। राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया आगणन रू. 15.80 लाख न्यूनतम था। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दिनाँक 10–03–2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। *"वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की।"* वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न. कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है।

		कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24 मार्च, 2015 में यथावत स्वीकार किया जा चुका है। विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।	
6.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/ शैक्षणिक परिसर के सौन्दरीकरण के दृष्टिगत बागवानी एवं लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दरीकरण हेतु कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 19 दिसम्बर, 2009 के संकल्प संख्या 41.03 के दृष्टिगत बागवानी एवं लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने की संस्तुति की। प्रकरण कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 23–11–2014 के संकल्प संख्या 76.10 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया :– "विश्वविद्यालय के प्रशासनिक/शैक्षणिक परिसर के सौन्दर्यीकरण के दृष्टिगत बागवानी/लैण्ड स्केपिंग की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को कार्य परिषद् ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।" विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। कार्यवाही की जा रही है।
7.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने पर विचार।	"योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल के अपूर्ण निर्मित भाग को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को 15 दिनों का समय देते हुए आख्या प्राप्त किया जाय कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये धनराशि रु. 96.60 लाख के सापेक्ष कार्य पूर्ण है अथवा शेष है। इसके पश्चात् ही अग्रतर कार्यवाही की	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में निर्माणाधीन केन्द्रीय पुस्तकालय के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस नवनिर्मित केन्द्रीय

		जाय।"	पुस्तकालय का लोकार्पण मा. राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनाँक 05 सितम्बर, 2015 को किया जा चुका है।
		उक्त संस्तुति के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग उ0 प्र0 इलाहाबाद के सम्प्रेक्षकों द्वारा निम्नलिखित बिंदु इंगित किया गया है :– (i) कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 कौशाम्बी इकाई इलाहाबाद के रु0 157.10 लाख के प्रेषित आगणन को दूरस्थ शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 रा0 निर्माण निगम लि0 कौशाम्बी इकाई इलाहाबाद के साथ दिनांक 31.03.2012 को अनुबन्ध किया गया। कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 05/2012 एवं कार्यपूर्ण की तिथि 08/2013 थी। उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कार्य आदेश जारी किया गया तथा 96.60 लाख एक मुश्त उपलब्ध कराये गये। कार्यदायी संस्था ने दिनांक 12.12.2012 को यह सूचित किया कि भूतल का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल का कार्य प्रगति पर है तथा 96.60 लाख व्यय हो गयी। निर्माण कार्य जारी रखने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी तथा दिनांक 23.11.2012 को कार्य बन्द कर दिया । (ii) दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में भवन निर्माण हेतु कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई एवं न ही विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से व्यवस्था की गयी। फलतः रू. 96.60 लाख की धनराशि अलाभकारी रही। अतः आडिट आपत्ति को देखते हुए उक्त कार्य के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि रु. 96.60 लाख अलाभकारी न हो, इस हेतु	

		विश्वविद्यालय को अपने श्रोतों से धन की व्यवस्था की जानी होगी एवं वर्षों से बंद कार्य को शुरू करना होगा। उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम ने अपने पत्र सं0 12/इला./कौशाम्बी इकाई/राजकीय निर्माण निगम/पुस्तकालय भवन/14 दिनांक 19.01.2015 द्वारा 96.60 लाख के कार्य पूर्ण किये जाने की सूचना दी गयी है तथा स्वीकृत धनराशि रु0 157.10 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु. 60.50 लाख को तत्काल अवमुक्त करने का पुनः अनुरोध किया है जिससे कार्य आरम्भ हो सके। अतः विश्वविद्यालय के स्रोतों से उक्त कार्य हेतु बजट प्रावधान हेतु प्रकरण वित्त समिति की बैठक दिनाँक 10–03–2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। *"वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की।"* वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24 मार्च, 2015 के संकल्प संख्या 79.01 (3) द्वारा यथावत स्वीकार किया। विद्या परिषद् कार्य परिषद् की अनुशंसा से अवगत हुई।	
8.	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेश से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में कैंटीन की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा से कार्य परिषद् अवगत हुई। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9.	विश्वविद्यालय में 500 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 500 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की संस्तुति की।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा

		विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	को यथावत स्वीकार किया गया। दिनाँक 01 दिसम्बर, 2015 को योजना बोर्ड की बैठक में विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया था। दिनाँक 15 फरवरी, 2016 को वित्त समिति ने अपनी बैठक में योजना बोर्ड की संस्तुति को यथावत स्वीकार किया। दिनाँक 06–03–2016 को कार्य परिषद् ने अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया :– वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया। कार्य परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि 1. शासन द्वारा नामित एजेन्सी से मानचित्र तदुपरान्त आगणन प्राप्त किया जाय। 2. स्वयं के संसाधनों से निर्माण कराये जाने एवं सासन से धनराशि की मांग की जाय। धनराशि प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति की जाय। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा

			चुकी है।
38.04	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.05	विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक दिनाँक 27 दिसम्बर, 2014 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।
38.06	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 13 फरवरी, 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
38.07	विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 13 फरवरी, 2015 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही तदनुसार की जा रही है।
38.08	<u>दिनाँक 07–02–2015 को सम्पन्न मान्यता बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार</u>		
1.	सत्र 2013–14 में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत होना।	*मान्यता बोर्ड सत्र 2013–14 में संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान करने हेतु तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत हुई।* विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	सत्र 2013–14 में विषेष अभियान के अन्तर्गत खोले गये 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना से सम्बन्धित तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत होना।	*मान्यता बोर्ड सत्र 2013–14 में विषेष अभियान के अन्तर्गत खोले गये 47 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना से सम्बन्धित तत्कालीन कुलपति के आदेश से अवगत हुई।* विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3.	आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार	*मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु निम्न संस्तुतियाँ की :–* (i) *नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) के दृष्टिगत आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किया जाय।* (ii) *संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से विष्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्गत पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) के परिप्रेक्ष्य में उनके वर्तमान स्थिति* (Present Status) *के सम्बन्ध में शपथ–पत्र प्राप्त किया जाय।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2015–16 से स्थगित/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	*मान्यता बोर्ड ने ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ वर्ष 2014–15 में शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :–* (i) *महाविद्यालयों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है,*	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा

		को निरस्त किया जाय। (ii) *उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आषय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ायें।* (iii) *संस्थानों में स्थापित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से 06 तक है, को निरस्त किया जाय।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	चुकी है।
5.	अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ (S-33) द्वारा अपने अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थियों का दिसम्बर, 2014 परीक्षा के सापेक्ष अधिन्यास क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ पर समय से न जमा किये जाने के कारण सम्बन्धित परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जाने से परीक्षा से वंचित रह जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने आगामी सत्र से अध्ययन केन्द्र नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ को बन्द करने की संस्तुति की। इसके अतिरिक्त मान्यता बोर्ड ने उक्त केन्द्र के पंजीकृत सभी शिक्षार्थियों को उनकी इच्छानुसार ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों से सम्बन्धित कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो, पर सम्बद्ध किये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पर सम्बन्धित शिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास जमा किये जाने की भी संस्तुति की।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.09	दिनाँक 02–05–2015 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार		
1.	सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के अनुसार कुल 152 आवेदन पत्रों/प्रस्तावों में से 128 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त पाया एवं कुल 12 महाविद्यालयों को विष्वविद्यालय मानकों की*	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया।

		पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/ विचाराधीन किया। साथ ही स्क्रीनिंग समिति ने कुल 12 संस्थानों को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण करने हेतु संस्तुति से सहमत हुई। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
2.	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों/आवेदन पत्रों पर विचार।	*मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के अनुसार कुल 66 आवेदन पत्रों/प्रस्तावों में से आगामी सत्र जुलाई 2015 से विवविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति होने पर कुल 44 प्रस्तावों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने की संस्तुति की तथा कुल 22 प्रस्तावों को विष्वविद्यालय के मानक की पूर्ति न होने के कारण असंस्तुत/विचाराधीन किये जाने की अनुशंसा से सहमत हुई।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	पूर्व की प्रस्तुत सूची में कम्प्यूटर की तकनीकी खराबी के कारण छः से अधिक छात्र संख्या वाले कुछ अध्ययन केन्द्र को स्थगन/निरस्त करने की श्रेणी में प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसे अध्ययन केन्द्रों के पूर्ववत् संचालन पर विचार।	*मान्यता बोर्ड प्रश्नगत अध्ययन केन्द्रों को स्थापित रखते हुए पूर्ववत् संचालित करने हेतु सहमत हुई।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार ऐसे केन्द्रों के पुनः संचालन हेतु कार्यवाही की जा चुकी है।
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में स्थापित नये क्षेत्रीय केन्द्रों तथा बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के झांसी जनपद में पूर्व से स्वीकृत क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करते हुए संचालित किये जाने पर विचार।	*मान्यता बोर्ड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों की मांग व उनके हितो को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद, मेरठ एवं आगरा जनपदों में नये क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने से सहमत हुई। साथ ही भौगोलिक दृष्टि से*	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं

		पिछड़े बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र में झांसी तथा कानपुर में भी क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर सहमति प्रदान की। विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	है।
5.	नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के आवंटन हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना एवं पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
6.	भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 के क्रम में फ्रेंड्स आफ हैण्डीकैप्ड स्वामी सत्यानन्द सरस्वतिम "वाणी" स्कूल एण्ड रिसर्च सेन्टर फार हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, पी0–1, पल्लवपुरम् फेज–II मेरठ, को विवविद्यालय का B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु अध्ययन केन्द्र स्थापित करने पर विचार।	*मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया तथा सम्बन्धित संस्था को मा0 कुपलति जी द्वारा गठित निरीक्षण दल की संस्तुति एवं RCI के पत्र 10-122/NP/2014/UP/RCI दिनांक 25.11.14 के क्रम में B.Ed.SE.(Hearing Impairment) कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु सहमत हुई।* विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.10	DOEACC Society द्वारा संचालित 'ए' लेवल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में Lateral Entry के माध्यम से सीधे एम.सी.ए. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 15–12–2014 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 26 दिसम्बर,	विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण को तद्सम्बन्धी गठित समिति के पुनर्विचारार्थ सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./इ.सी.

	2014 के कार्यवृत्त पर विचार।		/(38)–80/901/2015 दिनाँक 24–09–2015 द्वारा सम्बन्धित निर्णय से निदेशक प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा को अवगत कराया जा चुका है।
38.11	राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई.–833/12–जी.एस./2012, दिनाँक 30–01–2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के संशोधित अध्यादेश पर विचार।	विद्या परिषद् ने राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई.–833/12–जी.एस./2012, दिनाँक 30–01–2015 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसरण में द्विवर्षीय एकल विषय में स्नातक कला एवं विज्ञान कार्यक्रमों के तैयार संशोधित अध्यादेश को स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./ई.सी./38/750/2015 दिनाँक 22–08–2015 द्वारा सचिव, कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ को संशोधित अध्यादेश मा. कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रेषित किया गया। तद्नुक्रम में राज्यपाल सचिवालय के क्रमशः पत्र संख्या ई–9155/12–जी.एस./2012 दिनाँक 16–09–2015 एवं पत्र संख्या ई–12148/11886/12–जी.एस./2012 दिनाँक 10–12–2015 द्वारा वांछित सूचना का उत्तर विश्वविद्यालय के पत्राँक संख्या ओ.यू./1020/2015 दिनाँक 06–11–2015 एवं ओ.यू./1364/2016 दिनाँक 06–01–2016 द्वारा प्रेषित

			किया जा चुका है।
38.12	शिक्षा-विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने शिक्षा विद्या शाखा के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की अनुशंसा को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38)/732/2015 दिनाँक 19–08–2015 द्वारा निदेशक शिक्षा विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।
38.13	सत्र 2015–16 से संचालित सभी कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश शुल्क को ऑन लाइन किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने सत्र 2015–16 से संचालित सभी कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया एवं प्रवेश शुल्क को ऑन लाइन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.14	बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम. बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने बी.एड., बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.15	बी.एड. स्व–अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों पर विचार।	विद्या परिषद् ने बी.एड. स्व–अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों की सूची को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के

			पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38)/846/2015 दिनाँक 10–09–2015 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।
38.16	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं अन्य शुल्क के वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.17	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनाँक 09–06–2015 के कार्यवृत्त पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कला/विज्ञान कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम को चयन करने हेतु अनुदेश के सम्बन्ध में संशोधन किये जाने हेतु दिनाँक 09–06–2015 के कार्यवृत्त को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.18	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनाँक 08 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास के क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की संस्तुतियों पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनाँक 08 जनवरी, 2015 के सन्दर्भ में विभिन्न कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (CBCS) एवं कौशल विकास के क्रेडिट ढाँचा (CFSD) के क्रियान्वयन हेतु पाठ्यक्रम संरचना में परिवर्तन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठकों की संस्तुतियों को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
38.19	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से	विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया

	सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर विचार।	हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
38.20	बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) स्व–अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों पर विचार।	विद्या परिषद् ने बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) स्व–अध्ययन सामग्री के लेखकों के नामों की सूची को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनाँक 20–06–2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ई.सी./(38)/846/2015 दिनाँक 10–09–2015 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को सूचित किया जा चुका है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.03

दिनाँक 27–01–2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. परीक्षा दिसम्बर–2014 के उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु नोडल मूल्यांकन केन्द्र एवं नोडल प्रभारी नियुक्त करने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि–

1. परीक्षा दिसम्बर–2014 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु बरेली, लखनऊ व इलाहाबाद तीन नोडल केन्द्र बनाये जायें।
2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराने से पूर्व अथवा पश्चात मे मूल्यांकन कर्त्ताओं की सूची अवश्य अनुमोदित करा ली जाय।
3. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा भी क्षेत्रीय कार्यालय पर मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की अहर्ता का ध्यान रखा जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. मूल्यांकन केन्द्र/नोडल प्रभारी के मानदेय पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि–

1. पूर्व की व्यवस्था में बाह्य नोडल प्रभारियों के लिए मानदेय निर्धारित था किन्तु आन्तरिक नोडल प्रभारी हेतु कोई मानदेय नहीं था। समिति ने संस्तुति की कि आन्तरिक नोडल प्रभारी को भी बाह्य नोडल प्रभारी के समतूल्य मानदेय दिया जाय।
2. नोडल प्रभारी के मानदेय के पुनरीक्षण एवं उपरि–सीमा पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समस्त निदेशक गण, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होगें एवं समस्त पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कर्ता को 100 उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल घर ले जाकर मूल्यांकन करने एवं एक दिन पश्चात् मूल्यांकित पुस्तिकाएं वापस करने पर ही दूसरा 100 उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल देने पर विचार

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि–

1. 01 पैकेट (लगभग 100 उ0पु0) का मूल्यांकन करने हेतु अधिकतम तीन दिन का समय दिया जाय।
2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकित कॉपियाँ प्राप्त करने के पश्चात Randomly Check करा लिया जाय कि सभी उ0पु0 ठीक प्रकार से Check हुई है या नहीं। तत्पश्चात दूसरा उ0पुस्तिकाओं का बण्डल मूल्यांकन हेतु दिया जाय।
3. मूल्याँकन करने हेतु कॉपियाँ देते समय मूल्यांकन कर्ता का PAN No., बैंक का नाम तथा परीक्षक का अंग्रेजी के Capital Letters में (जैसा बैंक A/C मे है), IFS Code, A/C No. आदि की जानकारी ले लिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये उड़ाका दल के सदस्यों के पारिश्रमिक को पालीवार करने एवं ठहराव का दर अनुमन्य करने पर विचार</u>

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि–

कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा लेने गये परीक्षकों के ठहराव के दर अनुमन्य करने पर विचार</u>

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि–

कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. <u>विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु स्थापित कंट्रोल रूम में सम्बद्ध शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने पर विचार</u>

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि–

कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.04

दिनाँक 27–02–2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

मा0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर में योजित वाद संख्या–76/2013, कु0 विरक्ति राय बनाम परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के प्रकरण पर विचार

1. कु0 विरक्ति राय ने वर्ष 2001 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश लिया था तथा बी.ए. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए एक प्रश्न पत्र UGPH-02 जून 2008 की परीक्षा में उत्तीर्ण किया। इस प्रकार कु0 विरक्ति राय ने जून 2008 परीक्षा के सापेक्ष बी.ए. कार्यक्रम पूर्ण किया। कु0 विरक्ति राय ने स्वीकार किया है कि UGPH-02 प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी शेष थी, जिसके लिए वह पुनः पंजीकरण कराकर जून 2008 की परीक्षा में सम्मिलित हुई।
2. कु0 विरक्ति राय ने वर्ष 2004 मे एम.ए. कार्यक्रम मे प्रवेश लिया था तथा जून 2007 मे परीक्षा उत्तीर्ण कर एम.ए. कार्यक्रम का अंकपत्र एवं डिग्री प्राप्त कर चुकीं हैं। जबकि उनका बी.ए. कार्यक्रम जून 2008 की परीक्षा मे पूर्ण हुआ। अतः कु0 विरक्ति राय को विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ0यू0/1009/2013 दिनांक 07/09/2013 प्रेषित कर एम.ए. कार्यक्रम के प्रवेश को निरस्त करते हुए "अंकपत्र व उपाधि क्यों न निरस्त कर दिये जायें" के सम्बन्ध में 15 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है।
3. कु0 विरक्ति राय द्वारा बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2001 मे लिया गया एव बी.ए. कार्यक्रम से सम्बन्धित एक प्रश्नपत्र UGPH-02 की जून 2008 की परीक्षा मे सम्मिलित हो कर बी.ए. कार्यक्रम पूर्ण की है। अतः जून 2008 परीक्षा के सापेक्ष कु0 विरक्ति राय का बी.ए. का अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया जाना नियमानुकूल है।
4. विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने दिनांक 14 अगस्त, 2013 की बैठक में प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 2007 में कु0 विरक्ति राय के एम.ए. कार्यक्रम के निर्गत अंकपत्र एवं उपाधि को निरस्त करने व सूचना प्रेषित करने का निर्णय लिया जिसे कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2013 की बैठक मे संकल्प संख्या 72.05 के अन्तर्गत स्वीकार किया है।

अतः कु0 विरक्ति राय द्वारा अपने एम.ए. कार्यक्रम उत्तीर्ण करने का अंकपत्र एवं उपाधि विश्वविद्यालय को वापस करने के पश्चात् ही इनके बी.ए. कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करना नियमानुकूल है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया कि–

1. कुमारी विरक्ति राय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उनके एम0ए0 कार्यक्रम के अंकपत्र व उपाधि को निरस्त करने का कारण बताते हुए अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने की सूचना/पत्र प्रेषित कर दे दी जाय।
2. कुमारी विरक्ति राय के एम0ए0 कार्यक्रम की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी जाय।
3. कुमारी विरक्ति राय की जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष बी0ए0 कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करते हुए उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर में प्रस्तुत कर दिया जाय। साथ ही उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर को कुमारी विरक्ति राय के कार्यक्रम बी0ए0 की उपाधि जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष देने एवं एम0ए0 कार्यक्रम का अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.05</u>

<u>दिनाँक 08 जुलाई, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार</u>

1. <u>विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना</u>

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को विगत सत्र के UFM एवं संवीक्ष के निर्णय की कार्यवाही से अवगत कराया।

(i) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में 18 परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित थे। **(संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या .....)**

(ii) परीक्षा सत्र दिसम्बर 2014 में में कुल 31 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई। **(संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या .....)**

परीक्षा समिति ने विगत सत्र के UFM एवं संविक्षा के निर्णय की पुष्टि की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश से अवगत कराया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हों।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहॉ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सजायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों में एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।
8. विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं (संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या –.....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया किः–

(i) **परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय।**

(ii) **परीक्षा केन्द्र उन्ही केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।**

(iii) **परीक्षा समय सारिणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।**

(iv) **परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिए अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।**

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. परीक्षा सत्र जून 2015 के Flying squad/Observers की रिर्पोट

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को परीक्षा सत्र जून 2015 के Flying squad/Observers की रिर्पोट से अवगत कराया।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णया लिया कि Flying squad/Observers की रिर्पोट पर परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा दोनों पक्षों के पत्र को आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।</u>

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराया जिसका विवरण निम्नवत है:–

(a) परीक्षार्थी जितेन्द्र कुमार नामांकन संख्या 4102210204552 कार्यक्रम ठण् ब्वउ द्वारा परीक्षा केन्द्र एस–22 कुवाँरी चन्द्रावती महाविद्यालय पर पेपर के हिसाब से सुविधा शुल्क लेकर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि सुविधा शुल्क देने वाले परीक्षार्थियों को अलग एवं न देने वालों को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा करायी जाती है।

(b) परीक्षार्थी राजीव कुमार पाठक, शिवांगी मणि त्रिपाठी, श्वेता शर्मा, विभा त्रिपाठी, संध्या कुमारी व नीतू यादव, राघव नगर, देवरिया द्वारा परीक्षा केन्द्र बी.आर.डी. पी.जी. कालेज, देवरिया एस–017 पर प्रति प्रश्नपत्र एम0ए0 रू 800/– व बी0ए 500/– के हिसाब से सुविधा शुल्क लेकर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विचार।

(c) परीक्षार्थियों त्रिशा चौहान नामांकन संख्या 121941050004, गरिमा शाही 121721050030, विवके चौधरी 121721050037, विद्यानन्द उपाध्याय 221941050005, विकास सिंह 221941050007, नन्दिनी वर्मा 221941050003, अविनाश सोनकर 221941050002, व सोबिया मंजूर 221941050004 कार्यक्रम BCA द्वारा परीक्षा केन्द्र एस –013 बुद्ध पी जी कालेज कुशीनगर पर परीक्षा जून 2014 में प्रायोगिक परीक्षा के लिये रू 500/– से 1000/– प्रति छात्र/छात्रा लिये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विचार (परीक्षार्थियों को शपथ पत्र पर अपनी शिकायत टंकित करा कर प्रेषित करने हेतु पत्र Speed Post No. RU038766321IN, RU038766318IN, RU038766352IN, RU038766349 IN, RU 038766392 IN, RU 038766383IN, RU038766370IN, RU096035940IN, द्वारा दिनांक 12 व 10/6/2015 को प्रेषित)।

(d) विश्वविद्यालय के कर्मचारी श्री रमेश सिंह क परीक्षा जून 2015 में परीक्षा केन्द्र एस–009 प्रताप बहादुर कालेज, प्रतापगढ द्वारा परीक्षा गोपनीय सामग्री लेने से मना करने से सम्बन्धित पत्र पर विचार (गोपनीय सामग्री समय से प्राप्त करने हेतु परीक्षा केन्द्र एस–009 को पत्र Speed Post No. RU119485839IN, द्वारा दिनांक 20/6/2015 को प्रेषित)।

(e) श्री सन्तोष कुमार तिवारी द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि उनकी पुत्री सुश्री शाम्भवी नामांकन संख्या 3270310210269 कार्यक्रम B. Com द्वारा द्वितीय वर्ष का अधिन्यास जमा करने पर भी प्रवेश पत्र में नॉट एलाउड आया था। सेन्टर हेड श्री एस के तिवारी से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कहा गया कि उन्होने विश्वविद्यालय को अधिन्यास जमा नहीं किया है न ही जमा करेंगे और न ही वापस करेंगे। केन्द्र से प्रकरण पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है (संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या ....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्रा शिकायतों के आधार पर परीक्षा केन्द्र को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्रा प्रेषित किया जाय एवं

स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार</u>

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या से अवगत कराया **(संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या . .....)**
परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक को Show cause notice दिया जाय एवं उनके जबाव को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. <u>परीक्षा व्यवस्था</u>

(i) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार **(संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या ....)।**

(ii) आन्तरिक/वाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार **(संलग्नक–..... ... पृष्ठ संख्या .....)।**

(iii) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को आन्तरिक कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को से अवगत कराया कि परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार, आन्तरिक/वाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार एवं परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता अनुमन्य कराना आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने प्रश्न किया कि समस्त बिन्दु 18वीं परीक्षा समिति में भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं पुनः इसे इस परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि 18वीं परीक्षा समिति के सापेक्ष समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु गठित समिति का Action taken report आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. <u>कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना</u>

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा के अन्तिम दिन परीक्षा केन्द्र एस–320 छत्रधारी महाविद्यालय दयालपुर, चन्दौली द्वारा सभी प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें एवं एस–921 कृष्ण सुदामा संस्थान, कैथी वाराणसी द्वारा की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाये विलम्ब से भेजना प्रेषण सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गई है (संलग्नक–..... पृष्ठ संख्या .....)

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि " केन्द्र संख्या एस–230 द्वारा पूर्ण अवहेलना की गयी है किन्तु एस–921 द्वारा अन्तिम दिन ही देर से भेजी गई है" को संज्ञान में लेते हुए दोनों परीक्षा केन्द्रों को स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. <u>परीक्षा सत्र जून–2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति</u>

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा जून– 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों पर भेजी जा रही हैं।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।

9.(i) **तीन परीक्षा केन्द्रों S-011 वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर S-114 कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, गाजीपुर एवं S-065 डी.एस.एन. कालेज, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग को प्रेषित की गयी/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को प्राप्त करायी गयी परन्तु प्रेषित/प्राप्त करायी गयी उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग गोपनीय में उपलब्ध नहीं है। (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या . ...)**

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

संज्ञान में लाया गया कि उक्त आशय की जाँच करने हेतु एक जाँच समिति का गठन हुआ है किन्तु आख्या अद्यतन प्रतीक्षित है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि

(a) जाँच कमेटी अगले पाँच कार्य दिवस के अन्दर अपनी जाँ रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि इसमें दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय।
(b) परीक्षार्थियों द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर जिस प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका परीक्षा गोपनीय में उपलब्ध नहीं है उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाय।

(c) परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.02 व 15.08 (iv) पर परीक्षा समिति द्वारा उसी परीक्षा सत्र के अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय किया गया था।

(d) समरत कार्यवाही एवं आख्या आगामी परीक्षा समिति में भी सूचनार्थ प्रस्तुत हो जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

(ii) परीक्षा परिणाम CD में Write करा कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ Strong Room में सुरक्षित रखा जाय।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.06

दिनाँक 16 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न परीक्षा समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. श्री मनोज कुमार मिश्र द्वारा BCA-18 एवं डॉ. सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिये जाने के प्रकरण पर विचार

श्री मनोज कुमार मिश्र द्वारा BCA-18 एवं डॉ. सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिया गया। उक्त परिक्षकों को एक सत्र तक विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कार्य से विरत रखते हुए त्रुटियुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की कटौती के पश्चात् शेष मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान कर दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री मनोज कुमार मिश्र एवं डॉ. सुभाष चन्द्र चादव के दयेक का भुगतान न किया जाय एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य से विरत रखा जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित होने के कारण शिक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के प्रकरण पर विचार</u>

शिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास जमा करने के बाद भी वेबसाइट में आने वाले व्यवधान के कारण प्रवेश पत्र पर Not Allowed छप जाता है जिसके कारण शिक्षार्थियों को परीक्षा देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है व परीक्षा देने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं होता है। ऐसी स्थिति से निजात पाने हेतु जिस तरह MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास अंक विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों से सीधे मंगाया जाता है उसी तरह अध्ययन केन्द्रों द्वारा अन्य कार्यक्रमों की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं स्वयं मूल्यांकित कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक अधिन्यास अंक सीधे On Line उपलब्ध कराने हेतु अध्ययन केन्द्रों को Panel दे दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की व्यवस्था में कोई परविर्तन कमेटी का गठन करके उसमें लिये गये निर्णय के आधार पर ही किया जाना सम्भव है। MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पर कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. <u>परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (मानक) की समीक्षा।</u>

परीक्षा समिति की 20 वीं बैठक दिनाँक 08/07/2015 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत है :–

(i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय।

(ii) नए परीक्षा केन्द्रों उन्हीं केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।

(iii) परीक्षा समय सारिणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।

(iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के स्थिति में एक दो दिन के लिये अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि :–

1. परीक्षा केन्द्र बनाते समय ध्यान रखा जाय कि हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र अवश्य हो।
2. छात्राओं की Safety व Security को ध्यान में रखते हुये छात्राओं के अध्ययन केन्द्र की संख्या यदि 50 हो तो भी स्वविवेकानुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
3. विश्वविद्यालय (शांतिपुरम, फाफामऊ) में भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying Squad/Observers की रिर्पोट पर विचार</u>

परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying Squad/Observers की रिर्पोट परीक्षा केन्द्रों को आख्या प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया ।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./5565/2015 दिनाँक 03/09/2015 एवं ओ.यू./5978/2015 दिनाँक 30/10/2015 द्वारा परीक्षा केन्द्रों को भेजे गये पत्र के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रेषित आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त आगामी परीक्षा दिसम्बर–2015 में परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जाय। सत्रांत परीक्षा दिसम्बर–2015 से Region Change करके उड़ाका दल के सदस्यों को भेजा जाय (Varanasi to Ghazipur, Ghazipur to Varanasi etc.)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार।</u>

सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं पर विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से एकत्रीकरण कराने एवं मूल्यांकन कराने हेतु नोडल केन्द्र बनाने की प्रक्रिया पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों के सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय केन्द्र पर ही एकत्रित कराने के पश्चात् क्षेत्रीय समन्वयक को नोडल आफिसर बना कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. <u>भुगतान देयकों के मानक पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के पूर्व निर्धारित भुगतान देयकों के निम्नलिखित मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कमेटी का गठन कर मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. <u>BEd कार्यक्रम के अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार</u>

BEd कार्यक्रम के एक प्रश्न पत्र का अधिन्यास प्रश्न पत्र दो भागों मे बनवाया तथा दो परीक्षकों से मूल्यांकित कराया जाता है जिसके लिये अधिन्यास प्रश्न पत्र निर्माण व मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है और Computer feeding (प्रविष्टि) भी दो बार करानी पड़ती है। जिससे अधिक व्यय के साथ असुविधा भी होती है। अतः यदि कोई तकनीकी प्रतिबन्ध न हो तो BEd कार्यक्रम के एक प्रश्न पत्र के लिये एक ही अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाना व मूल्यांकित कराना उचित प्रतीत होता है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. <u>प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक की परीक्षक से कराने पर विचार</u>

प्रोजेक्ट का वाहय मूल्यांकन दो परीक्षकों से कराकर अंक दो पर्ण में प्राप्त होते है जिनका औसत अंक शिक्षार्थियों को अनुदानित किया जाता है। मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक भी दोगुना किया जाता है। कतिपय कारणों से कभी–कभी एक परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उत्तीर्ण व दूसरे परीक्षक द्वारा अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है ऐसी स्थिति से बचने हेतु प्रोजेक्ट का एक ही परीक्षक से मूल्यांकन कराना उचित प्रतीत होता है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. परीक्षा दिसम्बर–2014 की Not Allowed उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित कराने पर विचार।

परीक्षा दिसम्बर–2014 के कई परीक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास समय से अध्ययन केन्द्र पर जमा करने एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेषित करने के पश्चात भी Technic al Problem व अन्य कारणों से अधिन्यास डेटा में नाम न होने के कारण प्रवेश पत्र में N ot Allowed अंकित था तथा परीक्षार्थियों के परीक्षा देने के पश्चात भी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित नहीं कराई गयी। छात्र हित में ऐसे परीक्षार्थियों की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दु पर चर्चा हुई।

Ph.D प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध है उन्हीं की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम्, फाफामऊ) में ही करायी जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 40.07

दिनाँक 01 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न योजना बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु चयनित एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इलाहाबाद इकाई द्वारा अभी तक अनुबन्ध कर प्रेषित आगणन 535.60 लाख के विरुद्ध अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ न किये जाने के सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट एवं भूतल का निर्माण शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष वर्ष 2010 में कराया जा चुका है। बढ़ती हुई छात्र संख्या, कर्मचारियों एवं कार्यों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी होती जा रही है। प्रशारानिक भवन के निर्माण के प्रारम्भिक रामय में एक डिजाइन/मानचित्र बनवाया गया था

जिसके अनुसार प्रशासनिक भवन कुल 04 तलों में निर्मित होना था। प्रशासनिक भवन के बेसमेण्ट/भूतल का निर्माण कार्यदायी संस्थाः सी.एण्ड डी.एस., यूनिट–10, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद द्वारा किया गया है। प्रशासनिक भवन में स्थान की कमी को दूर करने के लिए निर्मित भवन के ऊपर के अन्य तलों के निर्माण कार्यदायी संस्था का भी निर्धारण किये जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड की बैठक दिनाँक 03–12–2014 को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर निम्नलिखित निर्णय लिया :–

योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार प्रशासनिक भवन के अपूर्ण तलों के निर्माण हेतु भारत सरकार के निर्माणदायी संस्था RYTES से कार्य कराये जाने की सम्भावना तलाशी जाय। मास्टर प्लान के अनुसान निर्माण कार्य के समय विश्वविद्यालय एक आर्कीटेक्ट के माध्यम से समय–समय पर गुणवत्ता का परीक्षण कराये।

योजना बोर्ड की उक्त संस्तुति के सन्दर्भ में प्रकरण वित्त समिति की दिनाँक 10–03–2015 के बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने प्रश्नगत प्रकरण पर निम्नलिखित संस्तुतियाँ की :–

(1) *"राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगणन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।"*

(2) *भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।*

(3) *विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत्रों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"*

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24 मार्च, 2015 को यथावत स्वीकार किया।

राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद और सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम यूनिट 33, इलाहाबाद से भवन निर्माण हेतु प्राप्त आगणनों में राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद का आगणन रू. 535.60 लाख न्यून होने के कारण इसे स्वीकार करते हुए अनुदान स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या ओ.यू./68/2015 दिनाँक 16–04–2015 द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित किया गया।

प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु आवश्यक परीक्षणोंपरान्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./17/2015 दिनाँक 08–04–2015 द्वारा एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया गया । निदेशक, एम.एन.एन.आई.टी., इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 275/CED/2015 दिनाँक 03–06–2015 एवं तत्क्रम में उनसे किये गये

व्यक्तिगत सम्पर्क में उनके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए विश्वविद्यालय को काफी व्ययभार आने की सम्भावना प्रतीत होती है।

अतः इस सम्बन्ध में पूर्व कार्यदायी संस्था सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम के महाप्रबन्धनक निर्माण पंचम विभूति खण्ड, लखनऊ से विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./474/2015 दिनाँक 22–06–2015 के द्वारा ग्राउन्ड तल पर प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण कराये जा सकने की जानकारी मांगी गई जिसके क्रम में महाप्रबन्धक (निर्माण पंचम खण्ड) द्वारा परियोजना प्रबन्धनक सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम यूनिट 33, इलाहाबाद को अपने पत्र संख्या 732/म..प्र.नि.–5/ यूनिट–33 दिनाँक 25–06–2015 द्वारा वास्तुविद से सम्पर्क कर वांछित जानकारी कुलसचिव को देने का निर्देश दिया जिसके अनुपालन में परियोजना प्रबन्धनक सी एण्ड डी एस, उ.प्र. जल निगम यूनिट 33, इलाहाबाद ने अपने पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20–07–2015 द्वारा यह सूचित किया गया कि निर्मित प्रशासनिक भवन पर एक तल का निर्माण कार्य और किया जा सकता है जिसे राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद को अवगत कराते हुए उक्त निर्माण हेतु अन्तिम अनुबन्ध निष्पादित करने के लिए विश्वविद्यालय अपने पत्राँक ओ.यू./1062/2015 दिनाँक 18–11–2015 द्वारा राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद को प्रथम तल के निर्माण हेतु अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। उक्तानुसार पत्र के माध्यम से राजकीय निर्माण निगम को यह सूचित किया गया है कि राजकीय निर्माण निगम दिनाँक 23–11–2015 तक सूचित करें कि वह अपने पत्र दिनाँक 07–03–2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रु. 535.60 लाख पर दिनाँक 26–11–2015 तक अन्तिम अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य आरम्भ करने हेतु सहमत हैं अथवा नहीं। उत्तर प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि उक्त आगणन रु. 535.60 लाख पर राजकीय निर्माण निगम अनुबन्ध निष्पादित कराकर कार्य कराये जाने हेतु इच्छुक नहीं है। राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद इकाई, इलाहाबाद का अद्यतन उत्तर अप्राप्त है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने प्रशासनिक भवन के ग्राउन्ड तल को पूर्व में बना चुकी राजकीय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 33, इलाहाबाद के पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20–07–2015 के आधार पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन रु. 535.60 लाख पर उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम तल का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम को शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता के सम्बन्ध में विचार</u>

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को तृतीय खण्ड की भूमि आबंटित की गयी है। विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी के निर्माण कराये जाने हेतु वित्त समिति ने अपने बैठक दिनाँक 29 जनवरी, 2013 को निम्नलिखित संस्तुति की जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 13 फरवरी, 2013 में वित्त समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया :–

"इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को आबंटित भूमि पर बाउन्ड्री कराये जाने के प्रकरण पर समिति ने निम्नलिखित संस्तुति की :–

(i) *बाउन्ड्री कराये जाने पर सैद्वान्तिक सहमति दी गयी।*

(ii) *इस पर व्यय की धनराशि की मांग शासन से की जाये।*

(iii) *जल निगम तथा राजकीय निर्माण निगम से इस्टीमेट प्राप्त किया जाये।*

कार्य परिषद् के निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी. एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद को क्रमशः विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./109/2013 दिनाँक 08–04–2013 तथा पत्राँक ओ.यू./110/2013 दिनाँक 08–04–2013 चहारदिवारी हेतु आगणन/मानचित्र मांगा गया।

उक्त पत्र के सापेक्ष परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्राँक कैम्प 01/नि. 6/राजर्षि/2013–14 दिनाँक 05–08–2013 द्वारा 115 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया जबकि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इलाहाबाद द्वारा कोई आगणन प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./2117/2014 दिनाँक 20–03–2014 को पुनः नवीनतम आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु कहा गया। जिसके सापेक्ष सी.एण्ड डी.एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा रु. 137.50 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया किन्तु आवंटित भूमि की रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य नहीं कराया गया। वर्तमान में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है। फलस्वरूप सी.एण्ड डी.एस. यूनिट–10, उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद से 137.50 लाख के आगणन पर विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./744/2015 दिनाँक 21–08–2015 द्वारा यह जानकारी मांगी

गयी है कि उक्त रेट पर आप कार्य करने के इच्छुक हैं या नवीनतम आगणन प्रस्तुत करेंगे जिसके सापेक्ष परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस. यूनिट–33 (पूर्व में यूनिट–10), उत्तर प्रदेश, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या 1020/निर्माण–1/51 दिनाँक 19–11–2015 रु. 144.77 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया

इस क्रम में यह भी प्रस्तावित है कि चहारदिवारी बनने के पश्चात् अधिकारी/कर्मचारी आवास एवं रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद के भवन का भी उक्त प्लाट में निर्माण कराया जाना है

अतः उक्त प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. <u>विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय में प्रायः कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार या अन्य प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय में कोई बड़ा हाल या बड़ा कक्ष उपलब्ध नहीं है, जिससे इन आयोजनों के क्रियान्वयन में जगह की कमी के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रहती है।

अतः विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 व्यक्तियों की क्षमता का एक आडिटोरियम निर्मित कराये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टी परपच हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण विश्वविद्यालय कर्मियों को दो/चार पहिया वाहन खड़ा करने में कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है।

अतः विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन निर्मित कराये जाने हेतु प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये जाने पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में बैंक, पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन हेतु भवन निर्मित नहीं है बल्कि गार्ड रूम में ही वर्तमान में बैंक खोला गया है एवं पोस्ट ऑफिस भी गार्ड रूम में ही खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। इंजीनियरिंग सेक्सन हेतु वर्तमान में कार्यालयीय स्थान उपलब्ध नहीं है।

अतः विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव योंजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में बैंक के पीछे डबल स्टोरी बिल्डिंग (बैंक/पोस्ट ऑफिस एवं इंजीनियरिंग सेक्शन) आदि के निर्माण कराये सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.08

दिनाँक 28 जुलाई, 2016 को सम्पन्न योजना बोर्ड की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार के मानचित्र एवं आगणन पर विचार कर अग्रेत्तर निर्माण कराए जाने पर विचार

योजना बोर्ड के पूर्व अनुशंसा के अनुक्रम में कार्यपरिषद् ने दिनाँक 11–12–2009 को दोनों परिसरों में भव्य गेट बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। तत्क्रम में वित्त समिति की अनुशंसा के दृष्टिगत कार्य परिषद् की 80वीं बैठक दिनाँक 20–06–2015 में वित्त समिति की निम्न अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार किया गया था :–

1. विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार का निर्माण/सौन्दरीकरण एवं लैण्ड स्केपिंग कराया जाये।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से निर्माण कराया जाये। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाये।

कार्य परिषद् के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में परियोजना प्रबंधक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद जो राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य करने हेतु सरकारी प्रतिष्ठान नामित है, से मानचित्र एवं आगणन **(संलग्नक ... . पृष्ठ संख्या .....)** प्राप्त किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 में उपर्युक्त एजेन्सी से आगणन व मानचित्र प्राप्त किया गया था, **(संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .....)** जिसके अनुसार एक गेट की लागत रू. 9.38 लाख थी। वर्तमान में तैयार किया गया आगणन पुराने गेट को रिनोवेशन करते हुंए तैयार किया गया है। यह विश्वविद्यालय की प्रवेश द्वार के भव्यता हेतु उपयुक्त है एवं आगणन की पूर्व धनराशि की तुलना में एक गेट की लागत मात्र रू. 04 लाख है जो विश्वविद्यालय के हित में कम एवं मितव्ययी है। निरीक्षण समिति ने उक्त मानचित्र एवं आगणन को उपयुक्त मानते हुए योजना बोर्ड में रखे जाने की संस्तुति की।
अतः विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में भव्य द्वार निर्माण कराये जाने हेतु वर्तमान में प्राप्त मानचित्र एवं आगणन योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने संस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के दोनों परिसरों में महाद्वार की भव्यता को ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जाये साथ ही यदि लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसका प्रावधान कर लिया जाये।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. <u>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल में राजकीय निर्माण एजेन्सी सी.एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये गये निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आंशिक परिवर्तित मानचित्र पर विचार कर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कर्मचारियों के लिए स्थान की कमी के कारण प्रथम तल में निर्माण कराये जाने हेतु वित्त समिति की बैठक दिनाँक 10–03–2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

"वित्त समिति ने निम्नलिखित संस्तुतियां की :–

(1) *"राज्य सरकार द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों से आगणन प्राप्त कर न्यून दर वाली राजकीय एजेन्सी से कार्य कराया जाय।"*

(2) *भूतल का निर्माण पूर्व में पूर्ण हो चुका है। अतः प्रथम तल बनवाने की जो भी औपचारिकतायें/प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो उसे सम्बन्धित से प्राप्त कर लिया जाय।*

(3) *विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत्रों से निर्माण कराया जाय। शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति की जाय।"*

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24–03–2015 के संकल्प संख्या 79.01 (4) में वित्त समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य परिषद् के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रथम तल बनवाने से सम्बन्धित लोड बियरिंग प्रमाण पत्र एवं अनुबन्ध न निस्पादित कराने सम्बन्धी प्रकरण को योजना बोर्ड की दिनाँक 01–12–2015 के बैठक में प्रस्तुत किया। योजना बोर्ड ने अपनी बैठक के संकल्प संख्या 21.05 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्णय लिया :–

योजना बोर्ड ने प्रशासनिक भवन के ग्राउन्ड तल को पूर्व में बना चुकी राजकीय कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 33, इलाहाबाद के पत्राँक 604/निर्माण/41 दिनाँक 20–07–2015 के आधार पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा

प्रेषित आगणन रु. 535.60 लाख पर उत्तर प्रदेश जल निगम,यूनिट 10, इलाहाबाद से प्रथम तल का भी कार्य कराये जाने हेतु सहमति मांगे जाने एवं सहमति प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश जल निगम से शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ कराये जाने की संस्तुति की।

उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट 10, इलाहाबाद से सहमति पत्र संख्या 1134/निर्माण –30/1 दिनांक 21–12–2015 प्राप्त हो चुका है तथा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु प्रथम किस्त के रुप में 25% जो रु. 133.90 लाख होता है का भुगतान किया जाना है । उक्त व्यय का प्रावधान बजट में कर लिया गया है।

दिनाँक 15 फरवरी, 2016 को वित्त समिति ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार करते हेतु *यथाप्रस्तावित अनुमोदित करने की संस्तुति की जिसे कार्य परिषद ने अपनी बैठक दिनाँक 06 मार्च, 2016 के संकल्प संख्या 83.15 (5) मे यथावत स्वीकार किया।*

सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, जल निगम, इलाहाबाद द्वारा प्रथम किश्त रू. 133.90 लाख के सापेक्ष कराये जा रहे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में लागत में कोई परिवर्तन न कर आंशिक परिवर्तित मानचित्र के साथ उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्नक ... . पृष्ठ संख्या .....)** भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आंशिक परिवर्तित मानचित्र को पूर्व ड्राइंग से बेहतर मानते हुए योजना बोर्ड में रखे जाने की संस्तुति की है **(संलग्नक .... पृष्ठ संख्या .....)** साथ ही दूसरी किश्त हेतु देय धनराशि रू. 133.90 के विरूद्ध रू. 117.00 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की।

अतः आंशिक परिवर्तित मानचित्र का प्रकरण द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य सहित योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, जल निगम, इलाहाबाद के पत्र दिनाँक 11–07–2016 में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने आंशिक परिवर्तित मानचित्र को बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रू. 117 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. <u>विश्वविद्यालय के आबंटित तीसरे प्लाट के भूमि 5.50 एकड़ के रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत राजकीय निर्माण एजेन्सी, सी. एण्ड डी.एस. द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष कराए जा रहे चहार दिवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रेषित किये गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में मानचित्र पर पुनः विचार कर द्वितीय किश्त के अवमुक्त के औचित्य पर विचार</u>

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को तृतीय चरण की भूमि आबंटित की गयी थी। रजिस्ट्री के उपरान्त उक्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहार दीवारी निर्माण हेतु वित्त समिति की बैठक दिनाँक 29–01–2013 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :–

"इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय को आबंटित भूमि पर बाउन्ड्री कराये जाने के प्रकरण पर समिति ने निम्नलिखित संस्तुति की :–

(i) *बाउन्ड्री कराये जाने पर सैद्वान्तिक सहमति दी गयी।*

(ii) *इस पर व्यय की धनराशि की मांग शासन से की जाये।*

(iii) *जल निगम तथा राजकीय निर्माण निगम से इस्टीमेट प्राप्त किया जाये।*

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 13–02–2013 के संकल्प संख्या 66.09 (4) में वित्त समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य परिषद् के निर्णय के अनुपालन में तत्कालीन अधिकारी द्वारा सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, जल निगम, इलाहाबाद से 20–03–2014 को आगणन प्राप्त हुआ था किन्तु आबंटित भूमि की रजिस्ट्री का कार्य न होने से उक्त कार्य नहीं हो सका था। अग्रेतर रजिस्ट्री का कार्य हो जाने के पश्चात उक्त एजेन्सी से दिनाँक 19–11–2015 को पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू. 144.7 लाख का प्राप्त हुआ जिसे योजना बोर्ड की बैठक दिनाँक 01–12–2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना बोर्ड ने विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया :–

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय को आवंटित तीसरे प्लाट की भूमि 5.50 एकड़ रजिस्ट्री के उपरान्त भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदिवारी निर्माण एवं अधिकारी/कर्मचारी आवास/रीजनल सेण्टर, इलाहाबाद की तत्काल अपरिहार्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

उक्त के क्रम में कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध सम्पादित कर प्रथम किश्त के रूप में अनुबन्ध की शर्त के अनुसार रू. 75 लाख अवमुक्त किया गया। सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–33, जल निगम, इलाहाबाद नें अवमुक्त किये गये प्रथम किश्त के सापेक्ष कराये जा रहे चहार दीवारी निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .....)

भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त दूसरी किश्त हेतु देय धनराशि रू. 75 लाख के सापेक्ष रू. 50 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त रू. 50 लाख अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. <u>विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों के क्षमता का आडिटोरियम निर्माण कराए जाने हेतु मानचित्र पर विचार</u>

विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु वित्त समिति ने अपनी बैठक दिनाँक 15 फरवरी, 2016 के संकल्प संख्या 32.07 के अन्तर्गत विचारोपरान्त योजना बोर्ड के दिनाँक 01 दिसम्बर, 2015 की बैठक में लिए गये निर्णय को यथावत स्वीकार किया :–

> **योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।**

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 06 मार्च, 2016 के संकल्प संख्या 83.14 **(3)** के अन्तर्गत विचारोपरान्त वित्त समिति की उक्त अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया। कार्य परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि

1. शासन द्वारा नामित एजेन्सी से मानचित्र तदुपरान्त आगणन प्राप्त किया जाय।
2. स्वयं के संसाधनों से निर्माण कराये जाने एवं शासन से धनराशि की मांग की जाय। धनराशि प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति की जाय।

कार्य परिषद् के उक्त निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा नामित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों (i) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद (ii) सी एण्ड डी.एस., यूनिट–33, उत्तर प्रदेश जल निगम, इलाहाबाद (iii) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम, इलाहाबाद एवं (iv) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद से मानचित्र एवं आगणन मांगे गए। जिसके सापेक्ष लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से मानचित्र एवं आगणन अभी तक प्राप्त है, शेष एजेन्सियों से आगणन एवं मानचित्र अद्यतन अप्राप्त हैं। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त मानचित्र पर विचार किए जाने हेतु प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ

प्रस्तुत है। अन्य एजेन्सियों का आगणन समान मानचित्र के अनुसार प्राप्त हो जाने पर दरों का तुलनात्मक अध्ययन कर प्रकरण पृथक से प्रस्तुत किया जायेगा।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने आडिटोरियम निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, इलाहाबाद से प्राप्त मानचित्र में प्रावधानित द्वितीय तल, सी.सी. रोड, हर्टीकल्चर कार्य, गोदरेज चेयर, लोक निर्माण विभाग विद्युत वितरण खण्ड के पृथक प्रावधान को छोड़कर मानचित्र को उपयुक्त पाया। अतः प्रथम चरण में उक्त को छोड़ते हुए विभिन्न शासकीय एजेन्सी से आगणन प्राप्त कर न्यूनतम दर की एजेन्सी से कार्य कराये जाने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष कराये गये प्रसाधन कक्ष के कार्यो के सम्बन्ध में भेजे गये उपभोग प्रमाण पत्र के आलोक में शेष अंतिम किश्त के अवमुक्ति के औचित्य पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिसर में आगन्तुक/शिक्षार्थियों/अभिभावकों के उपयोगार्थ प्रसाधन कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में योजना बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2014 के संकल्प संख्या 19.07 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें योजना बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :–

> "योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के परिसर में शिक्षार्थियों/अन्य वाह्य आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण कराये जाने की संस्तुति की।"

प्रसाधन निर्माण हेतु सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, यूनिट–33, इलाहाबाद एवं राजकीय निर्माण निगम, कौशाम्बी ईकाई, फाफामऊ, इलाहाबाद से भी आगणन प्राप्त किया गया। राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया आगणन रू. 15.80 लाख न्यूनतम है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोतों से प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दिनाँक 10–03–2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने यथा प्रस्तवित अनुमोदित करने की संस्तुति की। वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 24 मार्च, 2015 में यथावत स्वीकार किया।

प्रसाधन कक्ष के निर्माण का शिलान्यास 21–05–2015 को माननीय कुलाधिपति जी द्वारा किया जा चुका है। कार्यपरिषद के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद से दिनाँक 12–05–2015 को अनुबन्ध सम्पादित कर अनुबन्ध की शर्त के अनुसार प्राप्त आगणन रू. 15.80 लाख के विरूद्ध प्रथम किश्त के रूप में दिनाँक 12–05–2015 को रू. 14 लाख अवमुक्त किया गया था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई, इलाहाबाद द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये धनराशि के दृष्टिगत उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है एवं उसे सम्पूर्ण व्यय बताते हुए अवशेष धनराशि रू. 1.80 लाख की मांग की गयी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रेषित ड्राइंग में बरामदा, छज्जा, रैम्प तथा सी.सी. टाइल्स एवं महिला/पुरूष प्रसाधन का पृथक पार्टीशन तथा पृथक–पृथक चैनल गेट, 06 वाशबेसिन (03 महिला एवं 03 पुरूष हेतु) का प्रावधान न होने के कारण राजकीय निर्माण निगम ने 04 टायलेट के स्थान पर उक्त का प्रावधान किया है। सम्पूर्ण एरिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा 04 टायलेट के स्थान पर कराये गये अतिरिक्त कार्य की आगणित लागत रू. 50,600 तथा 04 टायलेट की आगणित लागत रू. 30,400 आती है। (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .....) भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति ने वर्तमान ड्राइंग को बेहतर मानते हुए योजना बोर्ड में रखे जाने की संस्तुति की है।(संलग्नक ... , पृष्ठ संख्या .....)

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, कौशाम्बी इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र दिनाँकित 25–06–2015 जिसमें बरामदा, रैम्प, सी.सी. टाइल्स, पृथक–पृथक चैनल गेट एवं आवश्यक वाशबेसिन का प्रावधान किया गया है एवं आगणन राशि में कोई वृद्धि नहीं किया गया है, को पूर्व मानचित्र दिनाँकित 27–01–2015 से बेहतर मानते हुए भवन निर्माण कार्य निरीक्षण समिति की संस्तुति को यथावत स्वीकार करते हुए कार्यदायी संस्था को अवशेष धनराशि रू. 1.80 लाख अवमुक्त करने की संस्तुति की।

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.09</u>

<u>विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा ऑन लाइन शिक्षा के क्षेत्र में ई– अधिगम की ओर बढ़ने के क्रम में विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) के नीति को अंगीकृत करने

के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन दिनाँक 16–08–2016 को किया गया। गठित समिति की दिनाँक 17–08–2016 के बैठक की अनुशंसा संलग्नक .... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है, जो विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में OPEN EDUCATIONAL RESOURCES (OER) के प्रयोग हेतु (OER) की नीति को अंगीकृत करने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.10

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या F. 1-3/2007(CPP-II) दिनाँक 05 मई, 2016 पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या F. 1-3/2007(CPP-II) दिनाँक 05 मई, 2016 (संलग्नक ..... . पृष्ठ संख्या .....) द्वारा ऐसे छात्रों जिन्होंने प्रवेश हेतु अपना प्रवेश शुल्क एवं अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र जमा कर दिया है, परन्तु प्रवेश के पश्चात् अपने शुल्क वापस चाहते हैं। प्रवेश शुल्क वापसी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रकाशित पब्लिक नोटिस के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से शुल्क जमा करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश न लेने की दशा में प्रवेश शुल्क वापस न करने के कारण छात्रों और अभिभावकों के शिकायती पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तक पहुँच रहे हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क वापस करने की कार्यवाही को महत्वपूर्ण मानकर निस्तारित करने की बात कही गयी है।

यह विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु शिक्षार्थियों से अर्हता सम्बन्धी कोई अभिलेख जमा नहीं कराये जाते बल्कि प्रवेश के पश्चात् शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री डाक के माध्यम से उनके घर पर उपलब्ध करायी जाती है। इसके साथ ही इस विश्वविद्यालय में शिक्षार्थी द्वारा किसी कार्यक्रम में प्रवेश लेने की दशा में अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भी प्रवेश लेने की व्यवस्था है। शिक्षार्थी यहाँ पर नामांकित होते हुए भी अन्य संस्थान में प्रवेश ले सकता है। प्रवेश हेतु कुछ संयुक्तियों का प्रावधान प्रवेश सूचना विवरणिका में मुद्रित है। उक्त का पालन करते हुए शिक्षार्थी दोनों संस्थानों में पठन–पाठन कर सकता है। (संलग्नक . पृष्ठ संख्या .....) अतः उक्त तथ्यों के आलोक में इस विधा में नामांकित शिक्षार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेश के पश्चात् वापस नहीं किया जा सकता। इस आशय की जानकारी प्रवेश सूचना विवरणिका में भी मुद्रित है। (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .. ..) प्रवेश न लेने की दशा में शुल्क वापस किया जा सकता है।

अतः प्रवेश शुल्क वापस किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

चूँकि उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है। इसकी कार्य प्रणाली अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। प्रवेश के उपरान्त शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री प्रेषित की जाती है। अतः विश्वविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शिक्षार्थियों के प्रवेश शुल्क वापस न किए जाने हेतु किए गए पूर्व की व्यवस्था को विद्या परिषद् ने उपयुक्त पाते हुए लागू रहने की संस्तुति की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.11

ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

श्री रविकान्त वर्मा, निदेशक, मान्यता, ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र संख्या 16/GMUSS/REC/DDN/157 दिनाँक 06–06–2016 (संलग्नक .... पृष्ठ संख्या .....) में उल्लेख है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 882(I)/पी.पी.एस./सी.एम./2016 दिनाँक 10–12–2016 व सरकारी गजट पंजी.सं.यू.ए./डी. ओ./डी.डी.एन./30/2015–17 खण्ड–17 रुड़की, शनिवार दिनाँक 23 अप्रैल, 2016 के अन्तर्गत ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (GMVSS) द्वारा आयोजित परीक्षा व जारी प्रमाण पत्रों को उत्तराखण्ड सरकार ने मान्यता/समकक्षता प्रदान की है। उन्होंने अपने पत्र द्वारा ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से इण्टरमीडिएट छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश देने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हताओं का उल्लेख विश्वविद्यालय के प्रवेश विवरणिका में किया गया है (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .....)

अतः ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड का पत्र विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.12

दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की बैठक दिनाँक 23–11–2015 एवं 26–12–2015 की अनुशंसा पर विचार

दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठक (दिनाँक 23–11–2015 एवं 26–12–2015) की अनुशंसा संलग्नक .... पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दूरस्थ शिक्षा सामुदायिक कालेज की स्थापना हेतु निर्मित समिति की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठक (दिनाँक 23–11–2015 एवं 26–12–2015) की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.13

राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा पर विचार

राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या Riosup/Recog/Admin/176/2015 दिनाँक 17/06/2015 (पत्र की छाया प्रति संलग्नक–... .पृष्ठ संख्या .....) द्वारा राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा संलग्नक–... .... पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् राजकीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता देने के सन्दर्भ में दिनाँक 25–05–2015 को गठित समतुल्यता समिति की दिनाँक 06–11–2015 के बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.14

विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं नवीन प्रस्तावित कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विद्या शाखाओं के स्कूल बोर्ड की सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार

विश्वविद्यालय में कई ऐसे कार्यक्रम संचालित है जिनके विश्वविद्यालय द्वारा स्व निर्मित कोई अध्ययन सामग्री/पाठ्य सामग्री नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन सामग्री के रूप में पाठ्य सामग्री या तो इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा निर्मित या बाजार से

टेक्स्ट बुक क्रय कर उपलब्ध कराये जाते हैं। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा ऐसे सभी कार्यक्रमों के स्व अध्ययन सामग्री निर्माण किये जाने एवं नये प्रस्तावित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम तैयार किये जाने हेतु विभिन्न विद्या शाखाओं की समीक्षा बैठकों में निर्देश दिया गया। इस दिशा में सभी विद्या शाखाओं द्वारा अपने अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की आवश्यक समीक्षा करते हुए स्व अध्ययन सामग्री (पाठ्य सामग्री) निर्माण किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस क्रम में सम्बन्धित विद्या शाखाओं में संचालित इकाईयों (विषयों) के अध्ययन बोर्ड/विषय विशेषज्ञों की बैठक आहूत कर संचालित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों (Syllabi) की समीक्षा की गयी। पाठ्यक्रमों को संशोधित करने के साथ पाठ्य सामग्री निर्माण हेतु लेखकों/विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गयी। परिनियमावली में दिये गये व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अध्ययन बोर्ड या विशेष विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची/प्रस्तावित कार्यक्रमों को सम्बन्धित विद्या शाखाओं के बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किया गया। विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की संस्तुतियाँ विद्या परिषद के समक्ष निम्न के अनुसार विचारार्थ प्रस्तुत हैं :–

(क) <u>प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा</u>

प्रबान्धन अध्ययन विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 29–04–2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक ... ... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है।

(ख) <u>समाज विज्ञान विद्या शाखा</u>

समाज विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची समाज विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 02–05–2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक .... पृष्ठ संख्या ..... 1 ..... पर उपलब्ध है।

(ग) <u>कृषि विज्ञान विद्या शाखा</u>

कृषि विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रमों/प्रस्तावित पाठ्यक्रम कृषि विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 30–04–2016 एवं 17–08–2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 28 पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है।

(घ) <u>मानविकी विद्या शाखा</u>

मानविकी विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रम मानविकी विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 02–05–2016

एवं 30–08–2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 29 पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है।

(घ) शिक्षा विद्या शाखा

शिक्षा विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के संशोधित पाठ्यक्रम शिक्षा विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 19–08–2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 30 पृष्ठ संख्या एवं 508–567 पर उपलब्ध है।

(ङ) विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा

विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत संचालित इकाईयों (विषयों) के विभिन्न कार्यक्रमों के नवीन प्रस्तावित कार्यक्रमों पाठ्यक्रमों/लेखकों–विषय विशेषज्ञों की सूची विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा के बोर्ड (School Board) की दिनाँक 07–04–2016 एवं 12–08–2016 के बैठक में पारित किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त संलग्नक 31 पृष्ठ संख्या .. .. पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की अनुशंसा पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विभिन्न विद्या शाखाओं के बोर्ड की विभिन्न तिथियों में सम्पन्न बैठकों की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार करते हुए कार्य परिषद् के विचारार्थ संस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.15

विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत होना

श्री अटल बिँहारी वाजपेई, पूर्व प्रधानमंत्री के शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिकल्पनाओं को साकार करने एवं समतामूलक समाज की स्थापना में श्री वाजपेई द्वारा किये गये प्रयासों को विश्वविद्यालय स्तर पर शोध प्रबन्ध एवं सेमीनार/कान्फ्रेन्स के आयोजनों द्वारा जनमानस तक पहुँचाने के दृष्टिगत इस विश्वविद्यालय द्वारा अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है। (संलग्नक .....पृष्ठ संख्या .....)

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.16

विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016की अनुशंसाओं पर विचार

विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 27–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016 की अनुशंसायें संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.17

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या F.No. 54-1/2016(DEB-II) दिनाँक 01 जुलाई, 2016 (संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या .....) द्वारा Open & Distance Learning (ODL) mode के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 के लिए शर्तो के साथ विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता प्रदान की गयी है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.18

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन पर विचार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द स्थापित हैं। अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा एक निश्चित धनराशि में मानदेय का भुगतान किया जाता है। अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले मानदेय का दर दिनाँक 01–07–2010 से निरन्तर चला आ रहा है। अध्ययन केन्द्रो के समन्वयकों की कार्यशाला में अधिकतर समन्यवकों द्वारा मानदेय मे वृद्धि की मांग की जाती रही है। अध्ययन केन्द्रो के प्राचार्य , समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों को मानदेय शिक्षार्थियों की संख्या एवं शुल्क आय के आधार पर किया जाता है मानदेय में वृद्धि हेतु कमेटी के गठन सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य, समन्वयक, सहायक समन्वयक तथा अन्य कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.19

विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन पर विचार

विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 (पत्र की छाया प्रति संलग्नक..... ..... पृष्ठ संख्या .....) के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी का गठन किया जाना है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध आदि के सभी संकायों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रदेश स्तर पर समान शुल्क निर्धारित किये जाने की नीति तैयार किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्र संख्या –646/सत्तर–4–2016–46(64)/2009 लखनऊ दिनाँक 05 अगस्त, 2016 के क्रम में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु कमेटी के गठन किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 48.20

पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने के सम्बन्ध में विचार

प्रो. एम.पी. दुबे इस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा दी गयी धनराशि से पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को प्रति वर्ष दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

स्वर्ण पदक प्रदान करने सम्बन्धी अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोह में विभिन्न छात्र–छात्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। प्रो. दुबे द्वारा दी जाने वाली धनराशि से निम्न के अनुसार **दानदाता स्वर्ण पदक** प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :–

(अ) **पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को स्नातक स्तर एवं गाँधी विचार एवं शान्ति अध्ययन आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को परास्नातक स्तर पर प्रथम प्रयास में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण करने वाले छात्र/छात्रा को दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा।**

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.21

समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास में एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किये जाने पर विचार

प्रो. एम.पी. दुबे इस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा दी गयी धनराशि से समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास में एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत अन्य पदक प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

स्वर्ण पदक प्रदान करने सम्बन्धी अध्यादेश के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोह में विभिन्न छात्र–छात्रा को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। प्रो. दुबे द्वारा दी जाने वाली धनराशि से निम्न के अनुसार **दानदाता स्वर्ण पदक** प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :–

(अ) **समस्त विद्या शाखाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम प्रयास एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दिव्यांगों के मध्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र/छात्रा को प्रथम अध्यादेश के परिशिष्ट 'क' के प्रस्तर (iv) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय दिव्यांग मेधा स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) प्रदान किया जायेगा।**

प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को विचारोपरान्त यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.22

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में संशोधनों पर पुनः विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक की अर्हताओं व सेवाशर्तो सम्बन्धी परिनियमों में संशोधनों सम्बन्धी प्रस्ताव पत्रांक सं. ओ.यू./1497/2011 दिनाँक 03–02–2011 के द्वारा महामहिम कुलाधिपति के कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। महामहिम कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के द्वारा अपने पत्रांक सं. 3673/जी.एस. दिनाँक 28–04–2014 के द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश दिनाँक 03–12–2013 के द्वारा अनुमोदित परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के परिनियमावली में संशोधन करते हुए प्रस्ताव

उपलब्ध कराया जाय। तद्नुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किया गया प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

सम्बन्धित प्रकरण पर विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 19 जून, 2015 को निम्नलिखित निर्णय लिया जिसे कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनाँक 20 जून, 2015 में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :–

विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

उक्त निर्णयानुसार प्रकरण को गठित समिति को विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./ई.सी./(38)/900/2016 दिनाँक 24–09–2015 द्वारा सूचित कर दिया गया था। तत्पश्चात् समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को पुनः विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो संलग्नक ..... पृष्ठ संख्या ..... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश के अन्तर्गत विहित अधिनियम जो परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। विद्या परिषद् ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 के अनुक्रम में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा लागू की गयी विश्वविद्यालयों के प्रावधानों को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों आदि की अर्हताओं एवं सेवाशर्तो आदि से सम्बन्धित परिनियमों में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक संशोधन करते हुए तैयार किये गये संशोधित परिनियम के प्रस्ताव को सम्यक अध्ययन कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.23</u>

<u>दिनाँक 26 अगस्त, 2016 को मान्यता बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यसूची एवं कार्यवृत्त पर विचार</u>

1. <u>सत्र 2015–16 में खोले गये 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना</u>

सत्र 2015–16 में नये अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु समय–समय पर आवेदन–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित

स्क्रीनिंग समिति ने महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने की अनुशंसा की। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को मा. कुलपति जी के आदेश से सत्र 2015–16 से 62 अध्ययन केन्द्रों के स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई है। (संलग्नक– ..... पृष्ठ संख्या .....)

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड 62 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

2. <u>सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना</u>

सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु समय–समय पर आवेदन पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर मा. कुलपति जी द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति ने अध्ययन केन्द्रों के अतिरिक्त वांछित कार्यक्रम संचालन हेतु अनुशंसा की। गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को मा. कुलपति जी के आदेश से सत्र 2015–16 में पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। **(संलग्नक– ..... पृष्ठ संख्या ....)**

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड पूर्व से संचालित 48 अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम के संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्तया बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

3. <u>सत्र 2015–16 में 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत होना</u>

सत्र 2015–16 में कतिपय कारणों से बन्द अध्ययन केन्द्रों में से 02 अध्ययन केन्द्रों द्वारा पुनः संचालन हेतु आवेदन–पत्र/प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन–पत्र पर छात्रों एवं अभिभावकों की मांग व सर्व शिक्षा सुलभ के दृष्टिगत अध्ययन केन्द्रों के आवेदन–पत्र की स्क्रीनिंग की गयी तथा स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। स्क्रीनिंग समिति ने अध्ययन केन्द्र पुनः संचालन की अनुशंसा की। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा को मा. कुलपति जी के आदेश से सत्र 2015–16 से 02 अध्ययन केन्द्रों पुनः संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। (संलग्नक– ..... पृष्ठ संख्या ... .)

अतः प्रकरण मान्यता बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड 02 अध्ययन केन्द्रों के पुनः संचालन से सम्बन्धित मा. कुलपति जी के आदेश से अवगत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् मान्यता बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

4. <u>ऐसे अध्ययन केन्द्रों जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक होने के कारण कतिपय अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2016–17 से स्थगित/निरस्त किये जाने पर विचार</u>

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों पर विगत तीन वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है। ऐसे अध्ययन केन्द्रों की सूची **संलग्नक– पृष्ट संख्या** पर उपलब्ध है। अतः ऐसे अध्ययन केन्द्रों के संचालन को सत्र 2016–17 से स्थगित/निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ऐसे अध्ययन केन्द्रों, जहाँ विगत तीन वर्षों से शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से छः तक है, के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियाँ की :–

(i) उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य है, को सत्र 2016–17 से निलम्बित किया जाय। संस्थानों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या शून्य से 06 तक है (विशिष्ट संस्थानों को छोड़कर), को सत्र 2016–17 से निरस्त किया जाय। निलम्बित/स्थगित अध्ययन केन्द्रों को सूचना विवरणिका एवं वेबसाइट के एडमीशन पोर्टल से हटा दिया जाय।

(ii) उ. प्र. शासन द्वारा स्थापित/मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित अध्ययन केन्द्रों, जहाँ शिक्षार्थियों की संख्या 01 से 06 तक है, को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि वह अपने अध्ययन केन्द्र पर छात्र संख्या को बढ़ाने का प्रयत्न करें।

(iii) संस्थानों में स्थापित पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों से उनके वर्तमान स्थिति (Present Status) तथा आधारभूत संरचनाओं यथा भवन, लैब, पुस्तकालय इत्यादि व शिक्षक आदि से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त कर ली जाय।

(iv) निलम्बित/स्थगित (महाविद्यालय में स्थापित) अध्ययन केन्द्रों द्वारा भविष्य में पुनः संचालन हेतु अनुरोध करने पर विचार किया जाय।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. <u>नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने पर विचार</u>

नये अध्ययन केन्द्रों की स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड "नये अध्ययन केन्द्रों के स्थापना/पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों द्वारा वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम को प्रदान किये जाने सम्बन्धित निर्धारित मानक/मापदण्ड तथा आवेदन–पत्र में संशोधन किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करेगी," पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. <u>उत्कृष्टता पुरस्कार दिये जाने पर विचार</u>

पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय के शिक्षक, तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पुरस्कृत किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड ऐसे पाँच उत्कृष्ट अध्ययन केन्द्रों, एक गैर–अध्ययन केन्द्र महाविद्यालय, एक उत्कृष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक, एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उत्कृष्टता पुरस्कार निर्धारण समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कृत किये जाने पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र को बन्द/निरस्त किये जाने पर विचार

पूर्व से संचालित इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र को बन्द/निरस्त किये जाने हेतु प्रकरण मान्यता बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मान्यता बोर्ड ने प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया।

मान्यता बोर्ड इण्टरमीडिएट कालेज स्तर के अध्ययन केन्द्र एस.के.बी.एम. इण्टर कालेज, दिलदारनगर, गाजीपुर (एस–035) को सत्र 2016–17 से बन्द/निरस्त किये जाने तथा इस अध्ययन केन्द्र पर नामांकित छात्र/छात्राओं को उनकी इच्छानुसार अन्य अध्ययन केन्द्रों, जहाँ सम्बन्धित विषयों की मान्यता हो, पर सम्बद्ध किये जाने पर सहमत हुई।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने मान्यता बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.24

Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या **F.No. 18-16/2016-DL** दिनाँक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा MOOCs के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने पर विचार

Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi के पत्र संख्या F.No. 18-16/2016-DL दिनाँक 22 अगस्त, 2016 (संलग्नक पृष्ठ संख्या .. ..) में उल्लिखित पत्र संख्या 8-26/2014-TEL दिनाँक 11 जुलाई, 2016 में MOOCs से सम्बन्धित निर्देशों को मुक्त विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने के निर्देश दिए गए है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अब तक इसके अन्तर्गत आई.आई.टी., मुम्बई के Spoken Tutorial से अनुबन्ध किया जा चुका है।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने **Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Distance Education Learning, Shastri Bhawan, New Delhi** के पत्र संख्या **F.No. 18-16/2016-DL** दिनाँक 22 अगस्त, 2016 के द्वारा **MOOCs** के सम्बन्ध में लागू किये जाने वाले निर्देशों को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.25

विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यों के प्रगति से अवगत होना

1. विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिए गए समय–समय पर निर्देशों के अनुसरण में अब तक आई.सी.टी. के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ERP University Management System Software को प्रवेश, परीक्षा, वित्त, पाठ्य सामग्री एवं प्रशासन अनुभाग में विकसित करने एवं निर्माण कराने का कार्य शासन द्वारा नामित एजेन्सी UPDESCO द्वारा किया गया है।

2. विश्वविद्यालय के ERP UMS Software को मोबाइल एप्लीकेशन का विकास भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा संचालित I-Made प्रोग्राम के तहत सम्पन्न करा लिया गया है।

3. विश्वविद्यालय एवं 10 नये क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का कार्य कर लिया गया है।

अतः सम्बन्धित प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित एवं क्रय किए गए साफ्टवेयर, आई.सी.टी. के अन्तर्गत कराए गए विश्वविद्यालय अवस्थापना सम्बन्धी कार्य, मोबाइल ऐप, क्षेत्रीय केन्द्रों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ने से सम्बन्धित कार्यों के प्रगति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.26

विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के शर्तो के अधीन अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या F1-130/2015(VIP/PS) दिनाँक 24 अगस्त, 2016 के माध्यम से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को Ph.D/M.Phil कार्यक्रम संचालन करने हेतु Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 की समस्त शर्तो का पालन किए जाने सम्बन्धी शपथ पत्र दिए जाने पर Ph.D/M.Phil कार्यक्रम चलाए जाने की अनुमति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ने इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली की भाँति विश्वविद्यालय में Ph.D/M.Phil कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय के पत्र दिनाँक 02–09–2016 द्वारा शपथ पत्र भेजते हुए Ph.D/M.Phil कार्यक्रम चलाए जाने हेतु अनुमति प्राप्त करने की की गयी कार्यवाही को उचित मानते हुए अवगत हुई। विद्या परिषद् Ph.D/M.Phil रेगुलेशन, 2016 के अनुसार Ph.D/M.Phil कार्यक्रम का संचालन शीघ्र शुरू किए जाने की संस्तुति की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

9.9.16

डॉ.(राजेश कुमार पाण्डेय)
कुलसचिव

संलग्नक-02

पी–एच.डी. कार्यक्रम की प्रवेश प्रकिया /दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 24/10/2016 का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ0यू0/905/2016 दिनांक 13/10/2016 द्वारा विश्वविद्यालय के पी–एच.डी. कार्यक्रम 2016 में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रकिया/दिशा निर्देश निर्धारण के लिए विचार–विमर्श हेतु दिनांक 25/10/2016 को अपरान्ह् 1.00 बजे निदेशक शिक्षा विद्याशाखा कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थिति

1. प्रो0 पी.के.पाण्डेय
   प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
2. डॉ. ओम.जी.गुप्ता
   निदेशक, प्रबंधन विद्याशाखा
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
3. डॉ पी.पी.दुबे
   निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
4. डॉ आर.पी.एस.यादव
   निदेशक, मानविकी विद्याशाखा
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
5. डॉ आशुतोष गुप्ता
   निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
6. डॉ इति तिवारी
   प्रभारी, समाज विज्ञान विद्याशाखा
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

बैठक के प्रारम्भ में प्रो0 पी.के.पाण्डेय, प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति ने निम्न संस्तुतियॉ कीः–

1. पी–एच.डी. कार्यक्रम पूर्णरूप से यू.जी.सी के 2009 व 2016 के नियमनों (Regulations) के अधीन संचालित किया जाए।
2- JRF उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरीयता दी जाय।
3- सीटों की उपलब्धता के आधार पर पी–एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट "50 Marit Base Points" के आधार पर निम्न विवरण के अनुसार तैयार किया जायः–

	A. Academic Performance	Points
I-	2.5% of Percentage Marks Obtained in 10th Standard	2.5
II-	5% of Percentage Marks Obtained in 12th Standard	5.0
III-	7.5% of Percentage Marks Obtained in U.G	7.5
IV	10% of Percentage Marks Obtained in P.G	10.0
	Sub – Total (A)	**25.0**
	B. Research Ability	Points
I-	Evaluation of Tentative Synopsis	15
II-	Interview	10
	Sub – Total (A)	25
	Grand Total 25+25(A+B)	50

110

25/10/16 25/10/16 Iti Tiwari 25-10-2016

4. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप संलग्न स्वरूप में हो।
5. प्रवेश के उपरान्त यदि कोई शोधार्थी शोध कार्य बीच में ही छोड़कर चला जाता है तो आगामी पी–एच.डी. प्रवेश के विज्ञापन में उस सीट को उपलब्ध सीटों की संख्या में जोड़ दिया जाय।
6. पी–एच.डी. प्रवेश प्रकिया में केवल उन्ही अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाय जिनके प्रवेश आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं उनकी प्रमाणित सूची परीक्षा नियन्त्रक द्वारा सम्बन्धित विद्याशाखाओं को उपलब्ध करायी जाय।
7. उ.प्र. सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी आरक्षण के नियमों का पालन किया जाय।
8. प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति सम्बन्धित विद्याशाखा की विभागीय शोध समिति (DRC)/विषय समिति के माध्यम से किया जाए।

25/10/16
डॉ. ओम.जी.गुप्ता

25.10.2016
डॉ पी.पी.दुबे

25.10.16
डॉ आर.पी.एस.यादव

25/10/16
डॉ आशुतोष गुप्ता

IU Tiwari
25-10-2016
डॉ इति तिवारी

25/10/16
प्रो0 पी.के.पाण्डेय

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर–एफ, शान्तिपुरम, फाफामऊ, इलाहाबाद – 211021

पत्रांक संख्या– ओ.यू./ / /2016

दिनांक – ...../10/2016

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 कार्यक्रम के ..... विषय में प्रवेश–2016 हेतु आप द्वारा किये गये आवेदन (ऑनलाइन), प्रेषित आवेदन पत्र (हार्डकापी) एवं प्रवेश परीक्षा में अर्जित अर्हता के आधार पर आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आप ..... विद्याशाखा, शैक्षणिक भवन (सरस्वती परिसर), उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, सेक्टर – एफ, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद–211021 में दिनांक ..... को ..... बजे निम्न अभिलेखों/प्रमाणपत्रों (Testimonials/ Documents) के साथ व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार (Interview) हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें–

1. समस्त अंकपत्रो, उपाधियों एवं प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियॉं एवं उन सभी की एक –एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉं ।
2. अन्तरिम (Tentative) शोध प्रकरण / विषय पर शोध संक्षेपिका (Research Synopsis) की दो प्रतियॉं (Two Sets)
3. सेवायोजित (Employed) अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक (Employer) से शोध कार्य हेतु कम से कम तीन वर्ष का अवकाश प्रदान करनें की स्वीकृति सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अभाव में आपका साक्षात्कार सम्भव नही होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता या यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। किसी कारण से साक्षात्कार के स्थगित होने की दशा में तदनुसार सूचना दी जायेगी। कृपया ध्यान रखें कि –

(अ) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही उ0 प्र0 शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी (Open category) के अन्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा।

(ब) अर्हता दिनांक 01/07/2016 को पूर्ण होनी चाहिए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला गैर लाभान्वित श्रेणी (Non-Creamy Layer) उल्लिखित जाति प्रमाण पत्र आदि दिनांक 01/07/2016 के पूर्व का जारी किया गया है तो वह मान्य नही होगा।

(स) साक्षात्कार में सम्मिलित होने का तात्पर्य पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश होना नही है। साक्षात्कार विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित प्रकिया का द्वितीय चरण मात्र है। प्रवेश प्रकिया के समस्त चरणों के पूर्ण होनें के उपरान्त अर्जित मेरिट तथा सम्बन्धित विषय में उपलब्ध स्थानों (Seats) के आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

भवदीय

(.....)

1/2

उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

सेक्टर–एफ, शान्तिपुरम, फाफामऊ, इलाहाबाद – 211021

पत्रांक संख्या– ओ.यू./ / /2016 दिनांक – ..... /10/2016

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 कार्यक्रम के ..... विषय में प्रवेश–2016 हेतु आप द्वारा किये गये आवेदन (ऑनलाइन) एवं प्रेषित आवेदन पत्र (हार्डकापी) के आधार पर आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आप ..... विद्याशाखा, शैक्षणिक भवन (सरस्वती परिसर), उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, सेक्टर – एफ, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद–211021 में दिनांक ..... को ..... बजे निम्न अभिलेखों/प्रमाणपत्रों (Testimonials/ Documents) के साथ व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार (Interview) हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें–

1. समस्त अंकपत्रो, उपाधियों एवं प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियॉ एवं उन सभी की एक –एक स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ ।
2. अन्तरिम (Tentative) शोध प्रकरण / विषय पर शोध संक्षेपिका (Research Synopsis) की दो प्रतियॉ (Two Sets)
3. सेवायोजित (Employed) अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक (Employer) से शोध कार्य हेतु कम से कम तीन वर्ष का अवकाश प्रदान करनें की स्वीकृति सहित अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अभाव में आपका साक्षात्कार सम्भव नही होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता या यात्रा व्यय आदि देय नही होगा। किसी कारण से साक्षात्कार के स्थगित होने की दशा में तदनुसार सूचना दी जायेगी। कृपया ध्यान रखें कि –

(अ) उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ही उ0 प्र0 शासन के अनुसार आरक्षण प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी (Open category) के अन्तर्गत प्रवेश दिया जायेगा।

(ब) अर्हता दिनांक 01/07/2016 को पूर्ण होनी चाहिए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला गैर लाभान्वित श्रेणी (Non-Creamy Layer) उल्लिखित जाति प्रमाण पत्र आदि दिनांक 01/07/2016 के पूर्व का जारी किया गया है तो वह मान्य नही होगा।

(स) साक्षात्कार में सम्मिलित होने का तात्पर्य पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश होना नही है। साक्षात्कार विश्वविद्यालय के पी–एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वांछित प्रकिया का द्वितीय चरण मात्र है। प्रवेश प्रकिया के समस्त चरणों के पूर्ण होनें के उपरान्त अर्जित मेरिट तथा सम्बन्धित विषय में उपलब्ध स्थानों (Seats) के आधार पर ही चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

भवदीय

(.....)

113

संलग्नक - 03

योग में स्नातक (सेमेस्टर पद्धति)
B.A. in Yoga (Semester System)

कार्यक्रम कोड / Programme Code	---------	कार्यक्रम की अवधि (वर्षो में) Program Duration (in yrs.)	: न्यूनतम : 3 अधिकतम : 5 Minimum 3 Maximum 5
कार्यक्रम का माध्यम / Medium of instruction	हिन्दी / Hindi	कार्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष : Programme Fee Per yer.	6500 /-
प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Qualification for Admission	(10 +2)	अधिन्यास कार्य /: Assignment Work	आवश्यक / Essential

योग में स्नातक (UGYO) कार्यक्रम के शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर में 4–4 क्रेडिट के तीन विषय केन्द्रित अनिवार्य प्रश्नपत्रों का तथा 4–4 क्रेडिट के एक –एक अनिवार्य प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का भी अध्ययन करना होगा। विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में 2–2 क्रेडिट के एक –एक प्रश्नपत्र का चयन करना अनिवार्य है। प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम के रूप में एक–एक नॉन क्रेडिट आधार पाठ्यक्रम तथा 2–2 क्रेडिट के एक –एक अन्य आधार पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट के एक–एक वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम को भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही शिक्षार्थी को अन्तिम छठें सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी पूरा करना होगा। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कुल 126 क्रेडिट पूर्ण करना अनिवार्य है। शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम अवधि के दौरान ही नॉन–क्रेडिट प्रश्नपत्रों को भी उत्तीर्ण करना अनिवाग्र है। नॉन क्रेडिट प्रश्नपत्रों को पूर्ण न करने की दशा में शिक्षार्थी का पाठ्यक्रम पूरा नहीं माना जायेगा तथा उसे उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Semester /सेमेस्टर	PaperNo./ पेपर नं0	CourseCode/पाठ्यक्रम कोड	Title Course/पाठ्यक्रम का शीर्षक	Credits/ क्रेडिट	Compulsory/ Elective
First Semester /प्रथम सेमेस्टर	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-01	योग के आधार भूत तत्व	4	अनिवार्य
		UGYO-02	हठयोग के मौलिक सिद्धान्त	4	
		UGYO-HN-1.2	मानव शरीर क्रिया विज्ञान एवं पोषण : परिचय	4	
		UGYO-P1	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-E1 Or UGYO-E2	योग एवं मानवीय उत्कृष्टता अथवा योग एवं योगी	2 2	वैकल्पिक
	Compulsory foundation Course/ अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम				
		UGFODL	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में आधार पाठ्यक्रम	नॉन	अनिवार्य

				क्रेडिट	
		AOCHE	मानव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम	2	
redits of First Semester				20	
	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-4	प्रमुख उपनिषदों के सार–तत्व	4	अनिवार्य
		UGYO-5	पतंजलि योग दर्शन	4	
		UGYO-6	अनुप्रयोगात्मक शरीर क्रिया विज्ञान	4	
econd Semester / द्वितीय सेमेस्टर		UGYO-P2	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-E3 Or UGYO-HN-3.4	आधारभूत मनोविज्ञान अथवा उच्चतर चिकित्सकीय पोषण	2 2	वैकल्पिक
	Elective Foundation Course / अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Select Any One)				
		AOCNC or UGFIT Or UGYO TS- 05	समुदाय एवं पोषण में आधार पाठ्यक्रम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम अथवा पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पर्यटन	4 4 4	वैकल्पिक
Credits of Second Semester				22	
hird Semester / तृतीय सेमेस्टर	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-7	व्यक्तित्व विकास हेतु भगवद्गीता का सार –तत्व	4	अनिवार्य
		UGYO-8	योग एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य	4	
		UGYO-9	योग की शिक्षण विधि	4	
		UGYO-P3	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO HT-01 Or UGYO-E5	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान के आधारभूत तत्व अथवा संस्कृत के आधार भूत तत्व	2 2	वैकल्पिक
	Compulsory Foundation Course/ अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम				
		CHEQ/ EA	पर्यावरण जागरूकता में आधारभूत पाठ्यक्रम	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
		UGYO EN-03	अंग्रेजी में सम्प्रेषण कौशल	2	
Credits of Third Semester				20	
	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-10	योग की चतुर्विधाएँ	4	अनिवार्य
		UGYO-11	भारतीय दर्शन के सिद्धान्त	4	
		UGYO-12	योग चिकित्सा के आधार तत्व	4	
		UGYO-P4	प्रायोगिक कार्य	4	

				क्रडिट	
		AOCHE	मानव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम	2	
redits of First Semester				20	
Second emester /द्वितीय समेस्टर	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-4	प्रमुख उपनिषदों के सार–तत्व	4	अनिवार्य
		UGYO-5	पतंजलि योग दर्शन	4	
		UGYO-6	अनुप्रयोगात्मक शरीर क्रिया विज्ञान	4	
		UGYO-P2	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-E3 Or UGYO-HN-3.4	आधारभूत मनोविज्ञान अथवा उच्चतर चिकित्सकीय पोषण	2 2	वैकल्पिक
	Elective Foundation Course / अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Select Any One)				
		AOCNC or UGFIT Or UGYO TS- 05	समुदाय एवं पोषण में आधार पाठ्यक्रम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम अथवा पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पर्यटन	4 4 4	वैकल्पिक
redits of Second Semester				22	
Third mester /तृतीय समेस्टर	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-7	व्यक्तित्व विकास हेतु भगवद्गीता का सार –तत्व	4	अनिवार्य
		UGYO-8	योग एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य	4	
		UGYO-9	योग की शिक्षण विधि	4	
		UGYO-P3	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO HT-01 Or UGYO-E5	कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान के आधारभूत तत्व अथवा संस्कृत के आधार भूत तत्व	2 2	वैकल्पिक
	Compulsory Foundation Course/ अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम				
		CHEQ/ EA	पर्यावरण जागरूकता में आधारभूत पाठ्यक्रम	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
		UGYO EN-03	अंग्रेजी में सम्प्रेषण कौशल	2	
redits of Third Semester				20	
	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-10	योग की चतुर्विधाएँ	4	अनिवार्य
		UGYO-11	भारतीय दर्शन के सिद्धान्त	4	
		UGYO-12	योग चिकित्सा के आधार तत्व	4	
		UGYO-P4	प्रायोगिक कार्य	4	

Sadhna

Sadhna

arth Semester /चतुर्थ सेमेस्टर	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-E6 Or UGYO-E7	आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त अथवा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियॉं	2 2	वैकल्पिक
	Elective Foundation Course/ अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम (Select Any One)				
		UGYO PH-02 Or UGYO SPH-02 Or UGYO SPH-03	समाज दर्शन अथवा आध्यात्मिक पर्यटन एवं धार्मिक संस्कृतियों का परिचय अथवा दर्शनशास्त्र का शांति की अनुभूति में योगदान	4 Or 4 Or 4	वैकल्पिक
Credits of Fourth Semester				22	
Fifth mester /पंचम सेमेस्टर	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-13	भारतीय संस्कृति के आधार	4	अनिवार्य
		UGYO-14	योग एवं मानव चेतना	4	
		UGYO-15	जीवन शैली जनित समस्याओं में योग प्रबन्धन	4	
		UGYO-P5	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-E8 Or UGYO-E9	प्राकृतिक चिकित्सा अथवा मर्म चिकित्सा	2 2	वैकल्पिक
	Compulsory Foundation course/ अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम				
		DM	आपदा प्रबन्धन में आधार पाठ्यक्रम	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
		UGYO WED-01	महिला सशक्तिकरण एवं विकास में आधार पाठ्यक्रम	2	
Credits of Fifth Semester				20	
Six Semester /षष्टम् सेमेस्टर	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-16	सामान्य समस्याओं हेतु योग चिकित्सा	4	अनिवार्य
		UGYO-17	सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग	4	
		UGYO-18	अनुप्रयोगात्मक योग	4	
		UGYO-P6	प्रायोगिक कार्य	4	
	Discipline Centric Elective Course / विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGYO-E10 Or UGYO-E11	योग एवं व्यक्तित्व विकास अथवा योग प्रशिक्षण की विभिन्न विधिया एवं (व्यक्तिगत, सामूहिक, शिविर)	2 2	वैकल्पिक
	Skill Based Open Elective Course / विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		UGSYO-01/ UGH SPH-04 Or	व्यावहारिक दर्शन एवं व्यावसायिक नैतिकता अथवा	4 4	वैकल्पिक

		UGSYO-02/ DHEN-02 Or UGSYO-03/ PGDVGCC-04	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अथवा परामर्श प्रक्रिया एवं कौशल	4	
Credits of Six Semester/ षष्टम् सेमेस्टर के कुल क्रेडिट				22	
Total Credits /कुल क्रेडिट				126	

योग में परास्नातक डिप्लोमा (सेमेस्टर पद्धति)

Post Graduate Diploma in Yoga (PGDYO)

कार्यक्रम कोड / Programme Code	:		कार्यक्रम अवधि (वर्षो में)	: न्यूनतम : 1 आधिकतम : 3
कार्यक्रम माध्यम / Medium of Instruction	:	Hindi/हिन्दी	Programme Duration (in Yrs.)	: Minimum : 1 Maximum : 3
प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Qualification for Admission	:	स्नातक (3वर्षीय)	कार्यक्रम शुल्क / Programme Fee	: 6000/-
	:	Three years Bachelor degree	अधिन्यास कार्य / Assignment Work	: आवश्यक / Essential

योग में परास्नातक (PGDYO) कार्यक्रम के शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में 4–4 क्रेडिट के तीन विषय केन्द्रित अनिवार्य सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों तथा 4 क्रेडिट के प्रयोगात्मक प्रश्नपत्रों का अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार 4–4 क्रेडिट के एक विषय केन्द्रित वैकल्पिक प्रश्नपत्रों का दोनों सेमेस्टर में चयन कर अध्ययन करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में 20–20 क्रेडिट को पूर्ण करते हुए कुल 40 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम की अवधि में 40 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की दशा में ही शिक्षार्थियों को उपाधि प्रदान की जायेगी। PGDYO (योग में परास्नातक डिप्लोमा) उत्तीर्ण छात्र लैटरलइण्ट्री के माध्यम से स्नातकोत्तर योग द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे।

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Semester/ सेमेस्टर	Paper No./ पेपर नं0	Course Code/पाठ्यक्रम कोड	Title Course/पाठ्यक्रम शीर्षक	Credits /क्रेडिट	Compulsory/ Elective अनिवार्य / वैकल्पिक
First Semester	**Compulsory Core Course/विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम**				
		PGDYO-01	योग के आधारभूत तत्व	4	अनिवार्य
		PGDYO-02	मानव जीव विज्ञान एवं योग	4	
		PGDYO-03	श्रीमद्भगवद्गीता एवं सांख्यकारिक	4	
		PGDYO-04	योग क्रियात्मक (**Yoga Practical**)	4	
	Open Elective Course (Other Disciplines)/ अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम				
		PGDYO -05 OR PGDYO- 06	धर्मदर्शन अथवा सामुदायिक पोषण	4 4	
प्रथम सेमेस्टर का कुल क्रेडिट				20	
Pantanjal Yoga Second Semester	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		PGDYO-07	व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग	4	अनिवार्य
		PGDYO-08	भारतीय दर्शन	4	
		PGDYO-09	पतंजलि योगसूत्र	4	
		PGDYO-10	योगक्रियात्मक (**Yoga Practical**)	4	
Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम					
		PGDYO-11 OR PGDYO-12	योग में अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी अथवा मानवचेतना	4 4	वैकल्पिक
कुल क्रेडिट				40	

योग में परास्नातक (सेमेस्टर पद्धति)

M.A. in Yoga (MAYO)

कार्यक्रम कोड / Programme Code	:		कार्यक्रम अवधि (वर्षों में)	:	न्यूनतम	: 2	अधिकतम :	4
कार्यक्रम माध्यम / Medium of Instruction	:	Hindi/हिन्दी	Programme Duration (in Yrs.)	:	Minimum	: 2	Maximum :	4
प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता / Minimum Qualification for Admission	:	स्नातक (3वर्षीय)	कार्यक्रम शुल्क / Programme Fee	:	8000/-			
	:	Three years Bachelor degree	अधिन्यास कार्य / Assignment Work	:	आवश्यक / Essential			

योग में परास्नातक (MAYO) कार्यक्रम के शिक्षार्थी को अपने कार्यक्रम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चुतुर्थ सेमेस्टर में 4–4 क्रेडिट के तीन विषय केन्द्रित अनिवार्य सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों तथा 4 क्रेडिट के प्रयोगात्मक प्रश्नपत्रों का अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार 4–4 क्रेडिट के एक विषय केन्द्रित वैकल्पिक प्रश्नपत्रों का चारों सेमेस्टर में चयन कर अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर में नॉन क्रेडिट अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में 20–20 क्रेडिट को पूर्ण करते हुए कुल 80 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। नॉन क्रेडिट अनिवार्य आधार पाठ्यक्रम को भी कार्यक्रम की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। 80 क्रेडिट के पाठ्यक्रम तथा नॉन क्रेडिट आधार पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना कार्यक्रम को पूर्ण नहीं माना जायेगा तथा शिक्षार्थियों को किसी भी दशा में उपाधि प्रदान नहीं की जायेगी। PGDYO (योग में परास्नातक डिप्लोमा) उत्तीर्ण शिक्षार्थी लेटरल एन्ट्री के माध्यम से स्नातकोत्तर योग II वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे।

पाठ्यक्रम कोड एवं विवरण

Semester/ सेमेस्टर	Paper No./ पेपर नं0	Course Code/पाठ्यक्रम कोड	Title Course/पाठ्यक्रम शीर्षक	Credits/ क्रेडिट	Compulsory/ Elective अनिवार्य / वैकल्पिक
First Semester	Compulsory Core Course/विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		MAYO -01	योग के आधारभूत तत्व	4	अनिवार्य
		MAYO-02	मानव जीव विज्ञान एवं योग	4	
		MAYO -03	श्रीमद्भगवद्गीता एवं सांख्यकारिक	4	
		MAYO -04	योग क्रियात्मक (Yoga Practical)	4	
	Open Elective Course (Other Disciplines)/ अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम				
		MAYO -05 OR MAYO - 06	धर्मदर्शन अथवा सामुदायिक पोषण	4 4	
प्रथम सेमेस्टर का कुल क्रेडिट				20	
Pantanjal Yoga Second Semester	Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम				
		MAYO -07	व्यावहारिक मनोविज्ञान एवं योग	4	अनिवार्य
		MAYO -08	भारतीय दर्शन	4	
		MAYO -09	पतंजलि योगसूत्र	4	
		MAYO -10	योगक्रियात्मक (Yoga Practical)	4	

Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम					
		MAYO -11 OR MAYO -12	योग में अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी अथवा मानवचेतना	4 4	वैकल्पिक
द्वितीय सेमेस्टर कुल क्रेडिट				20	
Compulsory Core Course/ विषय केन्द्रित अनिवार्य पाठ्यक्रम					
Third Semester		MAYO -13	हठयोग के सिद्धान्त	4	अनिवार्य
		MAYO -14	योग चिकित्सा	4	
		MAYO -15	वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ	4	
		MAYO -16	योगक्रियात्मक (Yoga Practical)	4	
Open Elective Course (Other Disciplines) /अन्य विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम					
		MAYO -17 OR MAYO -18	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं रोगविज्ञान अथवा स्वास्थ्य एवं आरोग्य हेतु आहार प्रबंधन	4 OR 4	वैकल्पिक
तृतीय सेमेस्टर कुल क्रेडिट				20	
Fourth Semester		MAYO-19	प्राकृतिक चिकित्सा	4	अनिवार्य
		MAYO-20	योग एवं स्वास्थ्य	4	
		MAYO-21	लघुशोध प्रबन्ध एवं मौखिकी	4	
		MAYO(P)-22	योग क्रियात्मक (Yoga Practical)	4	
Discipline Centric Elective Course/ विषय केन्द्रित वैकल्पिक पाठ्यक्रम					
		MAYO-23 OR MAYO-24	आहार एवं पोषण अथवा आहारीय चिकित्सा पद्धति	4 OR 4	वैकल्पिक
	Compulsory Foundation Course				
		PGFGS OR PGFHR	गांधीविचार एवं शान्ति अध्ययन अथवा मानवाधिकार एवं कर्तव्य	नॉन क्रेडिट	अनिवार्य
चतुर्थ सेमेस्टर कुल क्रेडिट				20	
कुल क्रेडिट				80	

संलग्नक-04

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक दिनांक – 24/10/2016 का कार्यवृत्त

दिनांक 24/10/2016

स्थान –निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा कक्ष समय– प्रातः 11.00 बजे

आज दिनांक 24/10/2016 को अपरान्ह 03:00 बजे निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा के कक्ष में शिक्षा विद्याशाखा के प्राध्यापकों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

उपस्थिति :–

1. प्रो0 पी. के. पाण्डेय, प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा
2. डॉ0 जी. के. द्विवेदी, असिस्टेन्ट. प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा
3. डॉ0 दिनेश सिंह, असिस्टेन्ट. प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा
4. डॉ0 मुकेश कुमार, असिस्टेन्ट. प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा
5. डॉ0 रंजना श्रीवास्तव, प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा
6. डॉ शैलेश कुमार यादव, प्रवक्ता, शिक्षा विद्याशाखा

सर्वप्रथम प्रो0 पी. के. पाण्डेय, प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। स्वागतोपरान्त प्रो. पाण्डेय ने पी–एच0डी0 प्रवेश सत्र 2016 हेतु परीक्षा नियन्त्रक के माध्यम से प्राप्त कुल 284 आवेदनों की हार्ड कापी एवं साफ्ट डाटा के जॉचोपरान्त प्राप्त सूचनाओं से अवगत कराया कि कुछ अभ्यार्थियों ने स्नातक स्तर पर BA/B.Sc./B.Com व B.Ed. दोनों तथा परास्नातक स्तर पर M.A. (शिक्षाशास्त्र) व M.Ed. दोनों उपाधियों के अंकपत्र के प्राप्तांकों को आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किया है। अतः प्रवेश में स्नातक व परास्नातक में से किस उपाधि को स्नातक तथा किस उपाधि को परास्नातक स्तर पर स्वीकार किया जाये, के सम्बन्ध में सभी सदस्यों से विचार–विमर्श करने का निवेदन किया। सभी सदस्यों ने गहन विचार विमर्श के उपरान्त पी–एच0डी0 प्रवेश सत्र 2016 के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियॉं की –

1. जिन अभ्यर्थियों ने एम0 ए0 (परास्नातक स्तर पर शिक्षाशास्त्र की उपाधि प्राप्त की है उनके एम0 ए0 (शिक्षाशास्त्र) तथा स्नातक स्तर पर BA/B.Sc/B.Com आदि के प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाना उचित होगा।
2. जिन अभ्यर्थियों ने परास्नातक के रूप में एम0एड0 किया है उनके एम0 एड0 एवं स्नातक स्तर पर बी0एड0 के प्राप्ताकों के आधार पर प्रवेश हेतु विचार किया जाना उचित होगा।
3. जिन अभ्यर्थियों ने एम0 ए0 (शिक्षाशास्त्र) तथा M.Ed. दोनों उपाधियॉं प्राप्त की हैं उनके M.A. (शिक्षाशास्त्र) तथा M.Ed. उपाधि में जिसके भी प्राप्तांक अधिक हो उसी पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा और इसी आधार पर यदि M.A. (Edu.) मे प्राप्तांक अधिक है तो परास्नातक पर M.A. व स्नातक स्तर पर BA/B.Sc/B.Com आदि तथा यदि M.Ed. स्तर पर प्राप्तांक अधिक है तो परास्नातक स्तर पर M.Ed. व स्नातक स्तर हेतु B.Ed. के प्राप्तांकों को आधार बनाया जाना उपयुक्त होगा।
4. एकल विषय स्नातक में प्राप्त अंको की गणना स्नातक के साथ नही की जायेगी।

धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

24/10/16 प्रो0(प्रदीप कुमार पाण्डेय) | 24/10/16 डॉ0(जी.के. द्विवेदी) | 24/10/16 डॉ0(दिनेश सिंह)

24/10/2016 डॉ0(मुकेश कुमार) | डॉ0 (रंजना श्रीवास्तव) | डॉ0(शैलेश कुमार यादव)

कुलसचिव/मा. कुलपति जी
कृपया अनुमोदन करना चाहें।
25-11-2016

संलग्नक-05

जुलाई 2016 से संचालित होने वाले स्वीकृत 04 नये अध्ययन केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र कोड	महाविद्यालय का नाम व पता	संस्तुत कार्यक्रम	सम्पर्क सूत्र
1	2	3	4	5
1.	**S1166**	श्री राम मनोहर यादव महाविद्यालय, जी.टी. रोड (बाई पास) फतेहपुर–212601	BA (Hindi, English, History, Education, Sociology, Economics, Pol.Science), B.Sc (Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Maths), MA (Hindi, English, History, Education, Sociology, Economics, Pol.Science), MJ, CCCN, DHEN, APDF, APPR, CHR, DIP, CTS, DRD, CCY, DECE, DCDN, DFD, DPC.	9415032714 9794274626 9125395033
2.	**S1167**	श्री वशिष्ठ नारायण करवरिया महाविद्यालय, मझगवाँ, राजापुर, चित्रकूट–210207	BA (Hindi, English, Sanskrit, History, Pol.Science, Sociology, Education), B.Sc (Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Maths), DRD, CHR, CWED, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, CCY, CCCN, CHFE, CNF.	9451501220 9918422225 9450652802
3.	**S1168**	श्री प्रभु दयाल महिला महाविद्यालय, ढकवा (भण्डियां), रेहुआ, सीतापुर–261303	BA (Hindi, English, Sociology, Sanskrit, Education), DFD, DTD, DIP, CCTT, CAC, CFD, CTD, CCY.	9956062622 9412246853 7398516070
4.	**S1169**	इन्दु देवी रामपति महिला डिग्री कालेज, सेवरही, कुशीनगर–274406	BA (Hindi, Sanskrit, Sociology, Pol.Science, History), MA (Hindi, Sanskrit, Sociology, Pol.Science, History).	9415377895 9450467602 9794128512

संलग्नक-06

नये अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु अस्वीकृत 13 संस्थाओं का विवरण

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	संस्तुतियाँ	टिप्पणी
1.	ब्रह्मर्षि योगीराज देवरहा बाबा संस्कृत महाविद्यालय, गुरवलिया लाला, कुशीनगर–274401	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
2.	श्री बिक्रमा चौबे संस्कृत महाविद्यालय, देव दुल्लहपुर, गाजीपुर–275202	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
3.	श्री हरिहर राजमती संस्कृत महाविद्यालय, रामगढ़ (बरियाँ), चन्दौली–232107	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
4.	परशुराम सिंह महाविद्यालय, बनकी मोंड पटेहरा कला, मिर्जापुर	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
5.	ज्ञानन्दा एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन अमरावती, विन्ध्याचल, मीरजापुर–231307	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
6.	महावीर परशुराम महाविद्यालय, विशुनपुर, टड़वा, गाजीपुर–275204	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
7.	रामरतन गर्ल्स डिग्री कालेज, जय रामगढ़, कोपागंज, मऊ–275305	पत्रजात का आभाव। अतः **असंस्तुत**।	पत्र प्रेषित।
8.	आधुनिक उच्च शिक्षण संस्थान, पनियरा बाजार, रजौड़ा रोड, महाराजगंज–273310	मानकों की पूर्ति न होने स्थिति में **असंस्तुत**।	
9.	दिशा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेन्ट, एल.आई.सी. ब्रांच–2, रामा इलेक्ट्रानिक वाली गली, राघव नगर, देवरिया–274001	मानकों की पूर्ति न होने स्थिति में **असंस्तुत**।	
10.	माँ शारदा देवी कालेज, मसिका, नैनी, इलाहाबाद	मानकों की पूर्ति न होने स्थिति में **असंस्तुत**।	
11.	सुमित्रा देवी पुनर्वास सामाजिक किसान एवं शोध संस्थान, भिटरिया, इलाहाबाद–211007	मानकों की पूर्ति न होने स्थिति में **असंस्तुत**।	
12.	जे.के. ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, करनैपुर, बाहरिया, फूलपुर, इलाहाबाद–212109	मानकों की पूर्ति न होने स्थिति में **असंस्तुत**।	
13.	गंगा देवी स्मारक शिक्षा समिति, 137/6, चांदपुर, सलोरी, इलाहाबाद–211004	मानकों की पूर्ति न होने स्थिति में **असंस्तुत**।	

पूर्व से संचालित 09 अध्ययन केन्द्रों को स्वीकृत वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	अध्ययन केन्द्र का नाम	केन्द्र कोड	संस्तुत कार्यक्रम
1.	मुलतानीमल मोदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद – 201204	S-053	BA (Public Administration, Sociology, Philosophy, Urdu, Education, Math, Statistic), MA (Education, Statistic, Philosophy, Social Work, Sociology), MBA, MCA.
2.	पूर्वांचल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राम सुन्दरपुर, रानी की सराय, आजमगढ़–276201	S-519	B.Sc. (Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Math).
3.	सरस्वती कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 819, डासना, 27 किसी. स्टोन, दिल्ली–हापुड़ बाईपास, आध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद–09	S-633	BA(Hindi, English, History, Sociology, Philosophy, Education), MSW.
4.	दीक्षित कालेज ऑफ हायर एजूकेशन, 7 किमी. रामपुर– शाहबाद रोड, ग्रा0– नसरत नगर, निकट नारायणपुर, रामपुर–244901	S-810	MBA, PGDFM, PGDIMB, PGDMM, CCMAP.
5.	पहलवान गुरूदीन महिला महाविद्यालय, पनारी, ललितपुर–284403	S-914	MA (Hindi, Pol. Science, Sociology, Economics, Sanskrit), MSW, DHEN, PGDVGCC, PGDDE.
6.	पं0 विद्याधर मिश्र सरस्वती विद्या मंदिर विज्ञान एवं अनुसंधान महाविद्यालय प्रतापगढ–230132	S-1027	APNFE, APNF, APCCN, APDF, APY, APPR, CTM, CFS, CDM, CHFE, CCCN, CLPS, CCMAP.
7.	दयाशंकर महिला महाविद्यालय, फूलपुर–प्रतापपुर मार्ग, बसनेहटा, हण्डिया, इलाहाबाद–212405	S-1066	CCY
8.	एल्पाइन कॉलिज ऑफ ऐजुकेशन, जलालाबाद, शामली–247772	S-1140	PGDCA, PGDFM, PGDMM, PGDPM, M.Sc.(CS).
9.	माँ सरस्वती सीता डिग्री कालेज, हरखपुर महरौंड़ा, सोरांव, इलाहाबाद–212501	S-1144	BA (Sanskrit), MA (Hindi, Sociology, Pol.Science, Sanskrit, History), M.Com.

पूर्व से संचालित 10 अध्ययन केन्द्रों को अस्वीकृत वांछित अतिरिक्त कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	अध्ययन केन्द्र का नाम	केन्द्र कोड	वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम	संस्तुत कार्यक्रम
1.	दीनानाथ पाण्डेय राजकीय महिला पी.जी. कॉलेज, देवरिया– 274001	S-075	B.Com, M.Com.	**असंस्तुत** शासन के पत्रजात के आभाव में असंस्तुत।
2.	कृषक पी0 जी0 कालेज, कोइरियापार, मऊ	S-129	M.Sc., M.Com, MLIS, B.Ed. Other Job Oriental Course.	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
3.	इन्स्टीटयूट ऑफ कम्प्यूटर साइंसेज एण्ड मैनेजमेंट, (I.C.S.M.) चितईपुर, कन्दवॉ, वाराणासी – 221106	S-158	B.Com, M.Com, BLIS, M.Sc.(CS)	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
4.	मृत्युजंय पाण्डेय संस्कृत महाविद्यालय, सं भं वि. बरहुआ, सैदपुर, चन्दौली	S-296	MLIS, B.Com, B.Sc., MA (All Subject),	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
5.	कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक पी0जी0 कॉलेज, बाले–दुपरी, डुमरी खास, ोरखपुर–273202	S-659	M.Sc (Biochemistry, Statistics)	**असंस्तुत** विश्वविद्यालय मानकानुसार बी. एस.सी. संचालन 3 वर्ष नहीं है।
6.	सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान, झूंसी, इलाहाबाद	S-690	BA & MA in Yoga, PG Diploma	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
7.	ध्रुव नारायण महिला महाविद्यालय, ग्राम–हरिहरपुर, पो.–सिन्दुरिया, क्षेत्र– मिठौरा, महाराजगंज	S-737	BA/MA (All Subject), BLIS, BJ, BCA, Other Certificate Course.	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
8.	श्री शंकर दुर्गाजी महाविद्यालय, खरचलपुर, जमालपुर, सोफीपुर, आजगढ़–276208	S-904	B.Sc.	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
9.	ग्राम्य शिक्षा बालिका महाविद्यालय, भृगारी, डोहरिया, मेजा, इलाहाबाद–212305	S-1097	MA(Hindi Literature, Sanskrit, English Literature, Education, Sociology, Pol. Science, History).	विश्वविद्यालय मानकानुसार **असंस्तुत**
10.	हाशमी गर्ल्स डिग्री कालेज, हाजी बशीर नगर, निकट किसान पेट्रोलियम, बिनौर रोड, अमरोहा, जे0पी0 नगर	S-388	MLIS	मानकों के आभाव में **असंस्तुत**

संलग्नक-04

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ,
इलाहाबाद – 211021

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु निर्धारित मानक/मापदण्ड में आवश्यक संशोधन हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक : ओ.यू./613/2016, दिनांक 11.08.2016 द्वारा गठित समिति की बैठकों दिनांक 24-10-2016, 25-10-2016, 26-10-2016 एवं दिनांक 08-11-2016 की कार्यवृत्त

समिति ने अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु पूर्व में निर्धारित किये गये मानकों/मापदण्डों का परीक्षण किया एवं सम्यक विचारोपरान्त सर्व सम्मति से कतिपय संशोधन स्वीकार किये जाने हेतु संस्तुत किया। संस्तुत किये गये संशोधित मानक/मापदण्ड, आवेदन–पत्र का प्रारूप, स्थलीय निरीक्षण आख्या का प्रपत्र एवं अनुबन्ध–पत्र (MoU) का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक :

1. संलग्नक : 01 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानक/मापदण्ड।
2. संलग्नक : 02 अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप।
3. संलग्नक : 03 अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या का प्रारूप।
4. संलग्नक : 04 विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित शिक्षा संस्थान के बीच अनुबन्ध–पत्र (MoU) का प्रारूप।

08/11/16
डॉ० ओम जी गुप्ता
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा

08.11.16
डॉ० पी०पी० दुबे
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा

8.11.16
डॉ० आर०पी०एस० यादव
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा

08/11/16
डॉ० आशुतोष गुप्ता
निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा

08/11/16
प्रो० पी०के० पाण्डेय
प्रभारी, शिक्षा विद्याशाखा

08/11/16
डॉ० टी०एन० दुबे
पुस्तकालयाध्यक्ष

8/11/16
डॉ० आर०के० पाण्डेय
कुलसचिव

Iti Tiwari
8-11-2016
डॉ० इति तिवारी
प्रभारी, समाज विज्ञान विद्याशाखा

8.11.16
डॉ० मृदुल श्रीवास्तव
परीक्षा नियंत्रक

डॉ० संन्तोषा कुमार
प्रभारी, पाठ्य सामग्री

डॉ० जी०के० द्विवेदी
प्रभारी, प्रवेश विभाग

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद–211021

दूरभाष सं. : 0532–2447035

Website :-www.uprtou.ac.in

अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानक/मापदण्ड

(Except B.Ed, B.Ed SE and PGPD Programs)

1. आवेदन–पत्र पर विचार करते समय अपेक्षित कार्यक्रमों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा भवन, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला व परामर्शदाताओं की सुलभ उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। साथ ही संस्था प्रथम वर्ष में न्यूनतम 15 शिक्षार्थी नामांकित करने के लिए वचनबद्ध होंगे।
2. मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों को सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय, प्रयोगशाला व अन्य सुविधाओं के प्रयोग करने की अनुमति होगी जिसके लिए शिक्षार्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नही लिया जायेगा।
3. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन–पत्र को निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक–01)** पर प्राप्त किया जाय। इस प्रारूप में अध्ययन केन्द्र पर विद्यमान सुविधाओं का पूर्ण व स्पष्ट विवरण मांगा जाये।
4. अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का आवेदन करने वाली संस्थाओं से निम्न विवरणानुसार आवेदन शुल्क, **जो वापस नही होगा**, लिया जाये :–

(i) सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुदानित उच्च शिक्षा संस्थाएं	निः शुल्क
(ii) स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाएं	रू. 1500.00
(iii) सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में पंजीकृत तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त अन्य संस्थाएं	रू. 7500.00

(iv) उपरोक्त बिन्दु (ii) व (iii) के अन्तर्गत किसी संस्था के स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता पर निरीक्षण शुल्क रू. 5,000/– सम्बन्धित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय में अग्रिम जमा करना होगा।

5. क्रमांक 4 के (ii) एवं (iii) पर अंकित शिक्षा संस्थाओं से रु. 12,500/– की वापसी योग्य जमानत राशि (Refundable Caution Money) अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा कराई जाये। **विश्वविद्यालय को देय आवेदन शुल्क आदि समस्त धनराशियाँ "वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के नाम से इलाहाबाद में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाय।**
6. सम्बन्धित विषयों में परामर्श सत्रों में परामर्शदाता का कार्य तथा प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य का निर्देशन/पर्यवेक्षण कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्न योग्यताओं के अनुसार कराया जाय :–

परामर्श कक्षाओं के संचालन के लिए सामान्य कार्यक्रम एवं प्रोफेशनल कार्यक्रमों (जैसे– कम्प्यूटर विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, प्रबन्धन, पुस्तकालय विज्ञान, कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि जहाँ UGC के साथ–साथ AICTE/ICAR/ICMR आदि के नियम भी लागू होते हैं) में परामर्शदाताओं की योग्यता वरीयता क्रम में निम्नवत् होगी :–

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सम्बन्धित विषय में नियमित रूप से कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष।

अथवा

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में अस्थाई/संविदा/तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/ उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो व नेट/पीएच.डी हो तथा सामान्य रूप से स्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर की परामर्श कक्षाओं के लिए 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता हो।

अथवा

- यथा संभव परामर्शदाता उसी संस्था का शिक्षक/परामर्शदाता होना चाहिए। अनुपलब्धता की दशा में आस–पास स्थित अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थाओं में कार्यरत उपरोक्त योग्यता धारकों से भी वाह्य परामर्शदाताओं के रूप में सहयोग लिया जा सकता है।

7. विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदक महाविद्यालय/संस्था में मूलभूत सुविधाओं में न्यूनतम 500 वर्ग फिट का Covered Area वाला कार्यालय, कक्षा–कक्ष, पुस्तकालय व प्रयोगशाला की समुचित सुविधा होनी चाहिए।
8. अध्ययन केन्द्र स्वीकृत करने से पूर्व अथवा नये कार्यक्रम अनुमन्य करने से पूर्व जरूरत होने पर कुलपति द्वारा गठित समिति, संस्था का निरीक्षण करके अध्ययन केन्द्र प्रभारी व कुलसचिव के माध्यम से कुलपति जी को विस्तृत आख्या **संलग्नक–2** में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करेगी जिस पर विचारोपरान्त अध्ययन केन्द्र व उसे आवंटित कार्यक्रमों की अनुमति दी जाय। निरीक्षण की स्थिति में निरीक्षण समिति के द्वारा आवेदन–पत्र में प्रस्तुत सभी सूचनाओं/क्रमांकों के सापेक्ष अपनी आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी।
9. पूर्व में स्थापित अध्ययन केन्द्रों या नये अध्ययन केन्द्रों को निम्नानुसार शर्त पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति दी जा सकती है :–

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
1.	MA/M .Sc/M.Com	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम 3 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
2.	MLIS	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर की शासन द्वारा मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BLIS या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा । (iii) MLIS उपाधित धारक न्यूनतम तीन अर्ह Guest Faculty. (iv) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच–पाँच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
3.	MJ	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जनसंचार अथवा किसी सम्बन्धित विषय (हिन्दी, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, सूचना विज्ञान) में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 3 वर्ष तक BJ या समकक्ष कार्यक्रम चलाने का अनुभव

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
4.	MBA	वणिज्य या प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक वाणिज्य या प्रबन्धन के स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
5.	MCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन या AICTE द्वारा मान्यता तथा न्यूनतम 3 वर्ष तक कम्प्यूटर में स्नातक कार्यक्रम चलाने का अनुभव।
6.	BA/B.Sc/B.Com	सम्बन्धित विषय/विषयों में शासन द्वारा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
7.	BA(TOURISM)	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान।
8.	BLIS	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव। एवं (i) न्यूनतम 200 Titles की पुस्तकों व 10 जर्नल वाला पुस्तकालय। (ii) ब्राड बैंड/इन्टरनेट सुविधा। (iii) प्रायोगिक कार्यों के लिए डी.डी.सी. 19वाँ संस्करण, सियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स एवं सी.सी. 6वाँ संशोधित संस्करण की न्यूनतम पाँच-पाँच प्रतियां अवश्य ही उपलब्ध होनी चाहिए।
9.	BBA	वणिज्य अथवा प्रबन्धन में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।
10.	BCA	कम्प्यूटर विज्ञान में शासन या AICTE से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता। अथवा न्यूनतम 5 वर्ष से कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व उच्च स्तरीय पंजीकृत संस्था।
11.	DHT, DCOM, DIC	संस्था को कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यक्रमों की मान्यता हो।

Iti Tiwari

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	शर्तें जो पूर्ण होनी चाहिए
12.	DASC, CASC	संस्था को स्नातक स्तर पर गणित या सांख्यिकी की मान्यता हो।
13.	DTS, DRD, APHFE, APCNF, APCCN, APY, APPR, APDF	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
14.	DECCE, DDN, DHEN	यदि संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc. या Food & Nutrition या Para Medical) या B.Ed. या B.Ed.(SE) या BA(Education) की मान्यता हो।
15.	DHA, DFD, DTD, DIP	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) या Vocational की मान्यता हो।
16.	DIU, DUJ & MC, DUNRNA,	संस्था को BA (उर्दू) की मान्यता हो।
17.	DJD, DPC	संस्था को BA या B.Sc.(Home Sc.) की मान्यता हो।
18.	CAC, CHFE, CWED, CTS, CCY, CTM, CTIEM, CPHT & VA, CCMAP, CLSPS, CNF, CCCN, CRJMC, CHR, CDM	मान्यता प्राप्त सभी अध्ययन केन्द्र।
19.	CCC	संस्था को कम्प्यूटर कार्यक्रमों की मान्यता हो।
20.	CFC	संस्था को स्नातक में विज्ञान वर्ग के विषयों की संचालन की मान्यता हो।
21.	CCP	संस्था को वाणिज्य या प्रबन्धन विषयों की मान्यता हो।
22.	CCTT, CFD, CTD	संस्था को BA या B.Sc. में गृह विज्ञान या Vocational कार्यक्रमों की मान्यता हो।

किसी संस्था को P.G. Diploma कार्यक्रम (क्रम संख्या 23 से 35 तक) के संचालन के लिए मान्यता देने हेतु वहाँ सम्बन्धित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम संचालन का अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर स्तर की मान्यता।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	सम्बन्धित विषय
23.	PGDEA, PGDVGCC	शिक्षाशास्त्र।
24.	PGDDE	सभी विषय।
25.	PGDESD	भूगोल या पर्यावरण विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान या कृषि या रसायन विज्ञान।
26.	PGDCA	कम्प्यूटर विज्ञान।
27.	PGDHRD, PGDFM, PGDMM, PGDIMB, PGDPM	वाणिज्य या प्रबन्धन।

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	सम्बन्धित विषय
28.	PGDJMC, PGDRJMC	पत्रकारिता या हिन्दी या अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू।
29.	PGDEMM & FP	पत्रकारिता।
30.	PGDT,	हिन्दी या अंग्रेजी।
31.	PGDFH, PGDCWH	हिन्दी।
32.	PGDGT & PS	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या इतिहास या शिक्षाशास्त्र या दर्शनशास्त्र।
33.	PGDCP	वाणिज्य या प्रबन्धन या अर्थशास्त्र या राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या कृषि।
34.	PGDGSW	राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र या समाज कार्य या भूगोल।
35.	PGDTM	वाणिज्य या प्रबन्धन या भूगोल या अर्थशास्त्र या इतिहास या पयर्टन।

विशेष :–

(i) B.Ed., B.Ed. (Special Education) व PGPD कार्यक्रमों हेतु मानकों का निर्धारण NCTE/RCI के दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(ii) MBA/MCA कार्यक्रमों के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त UGC, DEC, एवं AICTE की Joint Committee द्वारा संस्तुत दिशा–निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर अतिरिक्त मानकों का निर्धारण किया जायेगा।

(iii) Non-Credit कार्यक्रमों को छोड़कर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होगी।

(iv) प्रसार कार्यक्रमों को Non-Credit कार्यक्रमों के रूप में संचालित किया जायेगा।

(v) मानकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति होने की स्थिति में मा० कुलपति जी का अभिमत/निर्णय अंतिम होगा।

(vi) अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी शर्त विशेष में मा० कुलपति जी के अभिमत के अनुसार शिथिलता दी जा सकेगी।

Ili Tiwari

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद–211021

दूरभाष सं. : 0532-2447035
Website : www.uprtou.ac.in
E-mail : uprtou@yahoo.co.in
Fax No. : 0532-2447036

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा)

आवेदन शुल्क का विवरण
1. बैंक ड्राफ्ट संख्या .....
2. दिनांक .....
3. बैंक का नाम .....
4. धनराशि .....

1 महाविद्यालय/संस्था का नाम :

(i) (हिन्दी में).....

.....

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

.....

.....

2 समिति/ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण संख्या एवं वैधता तिथि : .....

3 महाविद्यालय/संस्था का स्थापना वर्ष : .....

4 महाविद्यालय/संस्था का स्तर एवं स्थापना के उद्धेश्य : .....

5 पत्राचार का पूरा पता पिन कोड सहित :

(i) (हिन्दी में) .....

.....

(ii) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....

.....

6 विश्वविद्यालय का नाम जिससे महाविद्यालय/संस्था सम्बद्ध हो :

(कुलाधिपति/शासन द्वारा निर्गत पत्र की फोटो कापी संलग्न की जाय)

.....

7 महाविद्यालय/संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम :

1	सचिव/प्रबन्धक/निदेशक का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं0	
4	मोबाइल नं0	
5	ई–मेल	

Jki Tiwari

8 महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य का नाम :

1	प्राचार्य का नाम	
2	दूरभाष संख्या	
3	फैक्स नं0	
4	मोबाइल नं0	
5	ई–मेल	

9 प्रस्तावित समन्वयक का नाम, पदनाम, विभाग, दूरभाष एंव मोबाइल नं. :

1	समन्वयक का नाम	
2	पदनाम	
3	विभाग	
4	दूरभाष संख्या	
5	ई–मेल	
6	मोबाइल नं.	

10 अध्ययन केन्द्र कार्यालय तथा समन्वयक कक्ष के लिए क्या महाविद्यालय/संस्था में स्थान उपलब्ध है ? यदि हाँ तो उसका विवरण दिया जाय और भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय :

क्र.सं.	नाम	संख्या
1	कार्यालय	
2	पुस्तकालय	
3	प्रयोगशाला	
4	कक्षाकक्ष	
5	अध्यापक कक्ष	

11 महाविद्यालय/संस्था के निकटतम :

क्र.सं.	स्थान का नाम	दूरी कि.मी. में
1	रेलवे स्टेशन का नाम एंव दूरी	
2	बस स्टेशन का नाम एंव दूरी	
3	पुलिस स्टेशन का नाम एंव दूरी	
4	डाकघर का नाम एंव दूरी	

Ili Tiwari

12 अगर महाविद्यालय अथवा संस्था के कुछ विभाग स्ववित्तपोषित हैं तो इंगित किया जाय :

.....

13 महाविद्यालय अथवा संस्था द्वारा संचालित वर्तमान पाठ्यक्रम :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित	क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शासन द्वारा सहायता प्राप्त / स्ववित्त पोषित
1			12		
2			13		
3			14		
4			15		
5			16		
6			17		
7			18		
8			19		
9			20		
10			21		
11			22		

14 यू0जी0सी0 के पत्र संख्या F.No. UGC/DEB/QMC/2013 दिनांक 09 सितम्बर 2014 के बिन्दु संख्या (IV) :- " No university, whether central, state, private or deemed, can offer its programmes through franchising arrangement with private coaching institution even for the purpose of conducting courses through distance mode." के अनुपालनार्थ 20/- रूपये (बीस रूपये) के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर संलग्न प्रारूप पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग नहीं प्रदान की जाती (संलग्नक संख्या–01)।

15 अगर महाविद्यालय / संस्था किसी विश्वविद्यालय का पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चला रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाय :

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	
2.	

Iti Tiwari

16 विषय एंव योग्यता सहित शिक्षकों की सूची (शिक्षकों की नियुक्ति के अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न की जाय) :

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	अध्यापन विषय	शिक्षक की नियुक्ति वर्ष	योग्यता
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नोट :– शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर सूची अलग से संलग्न करें।

17 पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (विषयवार पुस्तकों एंव पत्र–पत्रिकाओं की संख्या भी दी जाय :

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	पुस्तकों की संख्या
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Ili Tiwari

18 कम्प्यूटर की उपलब्ध सुविधा का पूर्ण विवरण (कम्प्यूटर लैब की आकार, कम्प्यूटर व प्रिन्टर आदि की संख्या इत्यादि) :

क्र.सं.	उपकरण का नाम	उपकरण की संख्या
1	कम्प्यूटर	
2	प्रिन्टर	
3	स्कैनर	

19 महाविद्यालय/संस्था में उपलब्ध इन्टरनेट/ब्राड बैन्ड कनेक्शन और जेनरेटर की सुविधा का विवरण :

क्र.सं.	नाम	विवरण
1	इण्टरनेट/ब्राड बैन्ड कनेक्शन का नाम एवं नम्बर	
2	जेनरेटर की क्षमता तथा संख्या	

20 अध्ययन केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी महाविद्यालय अथवा संस्था की प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव। (संख्या एंव दिनांक का उल्लेख नीचे करें तथा प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।)

.....

21 यू०पी०आर०टी०ओ०यू० के उन कार्यक्रमों का नाम जो प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र पर संचालन हेतु वांछित है (प्रत्येक वांछित कार्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय के मानक/मापदण्ड के अनुसार हो) :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम/कार्यक्रम कोड
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

Tiwari

22 अन्य प्रासंगिक सूचना : .....

23 संलग्नकों की सूची :

क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण	क्र.सं.	विवरण
1		4		7	
2		5		8	
3		6		9	

हस्ताक्षर प्राचार्य

हस्ताक्षर प्रबन्धक/निदेशक

दिनांक :

नोट :–

1 सभी प्रविष्टियों की पूर्ण स्पष्ट और सही–सही जानकारी देना आवश्यक है तथा आवेदन–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्राचार्य/निदेशक/प्रबन्धक के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

2 अपूर्ण आवेदन–पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा उसे निरस्त कर दिया जायेगा। एक बार निरस्त किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करना सम्भव नही है।

3 सूचना के पुष्टि हेतु मांगे गये संलग्नकों की नत्थी करना जरूरी है।

4 वांछित कार्यक्रमों के लिए शिक्षकों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण विवरण अलग से संलग्न किया जाय।

5 महाविद्यालय/संस्था का संचालन करने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र और उसके संविधान की एक प्रति संलग्न की जाय।

6 स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का रू 1500/– और अन्य संस्थानों को रू. 7,500/– आवेदन/पंजीकरण शुल्क आवेदन–पत्र के साथ जमा करना होगा।

7 आवेदन–पत्र के क्रम संख्या 14 से सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्राइवेट कोचिंग संचालन न किये जाने का शपथ–पत्र **(संलग्न प्रारूप पर)** रू. 20/– के नानजूडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कर अवश्य ही प्रस्तुत किया जाय।

8 मानक एवं मापदण्ड के क्रमांक पाँच में उल्लिखित संस्थाओं को रू 12,500/– जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्ययन केन्द्र के अनुमोदन होने के बाद जमा करनी होगी।

9 बैंक ड्राफ्ट **"वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद** के नाम व **इलाहाबाद** में देय होना चाहिए।

10 अध्ययन केन्द्र आवंटित करना या नहीं करने का निर्णय पूर्ण रूपेण विश्वविद्यालय के विवेकाधीन है।

11 मान्यता प्रदान करने के उपरान्त भी विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र का कभी भी निरीक्षण कराया जा सकता है एवं निरीक्षण के दौरान मानकों की पूर्ति न होने पर अध्ययन केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

12 विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था (अध्ययन केन्द्र) के बीच अनुबन्ध–पत्र (MoU) हस्ताक्षरित किया जायेगा।

शपथ–पत्र का प्रारूप

शपथ–पत्र

समक्ष – कुलसचिव,

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद

शपथ पूर्वक कहना है कि महाविद्यालय/संस्था .....

.....

विशुद्ध रूप से एक शैक्षिक संस्था है जिसमें उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जाते है। महाविद्यालय/संस्था में पठन–पाठन हेतु किसी भी प्रकार की प्राइवेट कोचिंग अथवा ट्यूशन का संचालन नहीं होता है और न ही भविष्य में किया जायेगा। यदि संस्था द्वारा भविष्य में प्राइवेट कोचिंग (Private Coaching) अथवा ट्यूशन (Tuition) के संचालन सम्बन्धी प्रमाणिक सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

प्रबन्धक

प्राचार्य/निदेशक

नोट : उपरोक्त शपथ–पत्र रू. 20/– (बीस रूपये) के नानजूडीशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर आवेदन–पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Ili Tiwari

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या का प्रारूप

निरीक्षण की तिथि : ....

1.	संस्था का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूरा पता (दूरभाष सहित) :		
2.	निरीक्षण मण्डल के सदस्यों का नाम :		1. 2. 3. 4. 5.
3.	संस्था के निदेशक/प्रबंन्धक का नाम, दूरभाष एवं मोबाइल नं० :		
4.	प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम एवं व्यवसाय :		
5.	संस्था का रजिस्ट्रेशन विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र और संविधान की प्रति संलग्न की जाय) :		
6.	अध्ययन केन्द्र हेतु उपलब्ध कक्षों की संख्या एवं उनका आकार (भवन का मानचित्र संलग्न किया जाय) :		
7.	**अन्य उपलब्ध सुविधाओं का विवरण :**		
	(i)	कम्प्यूटर लैब (आकार, कम्प्यूटर संख्या) एवं ए०सी० है/नहीं है।	
	(ii)	विद्युत आपूर्ति (जेनरेटर की सुविधा है/नहीं है ?)	
	(iii)	बेसिक टेलीफोन/फैक्स/इण्टरनेट कनेक्शन	
	(iv)	अध्ययन केन्द्र की अभिगम्यता	
	(v)	पुस्तकालय की सुविधा एवं विषयवार पुस्तकों की संख्या	
8.	क्या संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में संलग्न है ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो छात्र संख्या सहित उसका विवरण		

9.	क्या संस्था द्वारा पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया जाता है? हाँ/नहीं यदि हाँ तो विश्वविद्यालय का नाम : छात्र संख्या सहित पाठयक्रमों का विवरण	
10.	क्या संस्था यू.पी.आर.टी.ओ.यू. का अध्ययन केन्द्र खोलने पर पत्राचार पाठ्यक्रम बन्द करेगी ? हाँ/नहीं यदि हाँ तो इसके लिए संस्था द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र संलग्न किया जाय।	
11.	नगर विशेष में कार्यरत दूरस्थ शिक्षा के अन्य अध्ययन केन्द्र	

अध्ययन केन्द्र	विश्वविद्यालय	अनुमन्य कार्यक्रम
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

12.	संस्था में यू.पी.आर.टी.ओ.यू. के निम्न कार्यक्रमों को चलाने हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः अध्ययन केन्द्र खोलने और निम्न कार्यक्रमों के संचालन की अस्थायी अनुमति देने की संस्तुति की जाती है।
	संस्तुत कार्यक्रम :
	अथवा निर्धारित मानकों की पूर्ति न होने के कारण अध्ययन केन्द्र खोलने की अनुमति देने का औचित्य नहीं है।

Ibi Tiwari

13.	अगर कार्यक्रम विशेष हेतु सशर्त संस्तुति की गयी है तो शर्तों का विवरण इंगित करें। क्या पुनः स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता होगी ? (आवश्यक होने पर अलग से पन्ना प्रयोग में लायें)

निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के हस्ताक्षर

14.	प्रभारी, अध्ययन केन्द्र की आख्या
15.	कुलसचिव की आख्या
16.	कुलपति जी का आदेश

Iti Tiwari

UTTAR PRADESH RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY

SHANTIPURAM, SECTOR-F, PHAPHAMAU, ALLAHABAD - 211 021

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

between

U.P. Rajarshi Tandon Open University and the Study Centre

This agreement is made on_____(day) of_____ (month) _____ (year) between U.P. Rajarshi Tandon Open University, Shantipuram, Sector-F, Phaphamau, Allahabad - 211 021 represented by the Registrar here-in-after referred to as 'UPRTOU' and this expression shall include the successors and assignees on one part and_____(College/ Organization/Institute)_____(address) _____(place) represented by its Principal/Director and Manager herein after called Host Institution and this expression shall include their successors and assignees on the other part.

Whereas the Host Institution has agreed to work as an approved Study Centre of the university and that UPRTOU agrees to permit the aforesaid Host Institution to run the Study Centre under the rules, regulations and norms laid down for such purposes.

1. **The Host Institution undertakes to :**

(i) Provide rooms (space) for exclusive use of UPRTOU centre without charging any rent.

(ii) Make available rooms for counselling sessions and also for University examinations in case the Study Centre is made an examination centre of UPRTOU.

(iii) Permit the use of its library, laboratories and other institutional facilities without charging any extra fees.

(iv) Help to generate awareness among public about UPRTOU and its programmes.

(v) Install a signboard of UPRTOU Study Centre prominently at the gate and other proper places.

(vi) Strictly adhere to the conditions laid down in the letter communicating the permission of the UPRTOU to establish a Study Centre in the Host Institution.

2. **Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University (UPRTOU) undertakes to :**

(i) Appoint a Co-ordinator recommended by the Principal/Director of the Host Institution.

(ii) Pay contingent charges to the Study Centre as per the norms of UPRTOU.

(iii) Pay honoraria and conveyance to the Co-ordinator of the Study Centre and Principal/Director of the Host Institution as per the norms of UPRTOU.

(iv) Appoint part time Assistant Co-ordinator approved by the university and pay to him/her honorarium and conveyance as per the norms of UPRTOU.

Iti Tiwari

(v) Authorise the Principal/Director to appoint part time class III and class IV employees and other functionaries and pay them honoraria at the rate fixed by UPRTOU from time to time.

(vi) Pay honoraria and conveyance to the counsellors as per the norms of UPRTOU.

(vii) Pay contingent charges and other honoraria for holding UPRTOU examinations as per the norms of UPRTOU in case the Study Centre is made an examination centre of UPRTOU.

3. **Under this memorandum of understanding, both the Host Institution and the University agree-**

(i) That they shall have the right to terminate the MoU by mutual agreement.

Or;

(ii) That one month's notice shall be required to be served on the Host Institution if there are proven lapses on the part of Host Institution in terms of irregularities in admissions or/and counselling or/and finances or/and examinations etc.

Or;

(iii) that three months notice shall be required to be served on UPRTOU by the Host Institution.

Signed :

On behalf of the Host Institution :

(i) **Head of Institution :**

Name : _____

Designation : _____

Date : _____

Seal : _____

(ii) **Manager of the Institution :**

Name : _____

Designation : _____

Date : _____

Seal : _____

(iii) **Witness :**

Name : _____

Designation : _____

Date : _____

Seal : _____

On behalf of UPRTOU :

(i) **Registrar of UPRTOU**

Name : _____

Designation : _____

Date : _____

Seal : _____

(ii) **In-charge, Study Centre Cell :**

Name : _____

Designation : _____

Date : _____

Seal : _____

(iii) **Witness :**

Name : _____

Designation : _____

Date : _____

Seal : _____

.....